केवल मैडीकल व्यवसायियों के लिए

मैडीकल दर्पण

Editor- Brijesh Garg www.medicaldarpan.com Monthly News Paper

B.N. Medical Complex, Bulandshahr (U.P.) Postal Reg. No.- BSR 56/2023-2025 RNI UPBIL/2010/44113

Year 17 | Issue 10 | D.O.P. 01 JULY 2024 | Pages 16 | ₹10/- Copy | 09045029158 | medicaldarpan.ctp@gmail.com

फार्मा कंपनी ल्यूपिन और अरबिंदो ने यूएस मार्केट से वापस मंगाई दवाइयां

मुंबई: प्राप्त समाचार के अनुसार फार्मा कंपनी ल्यूपिन और अरबिंदो ने यूएस मार्केट से अपनी दवाइयां वापस मंगाई हैं। इस बारे में यूएस हेल्थ रेगुलेटर का कहना है कि यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इश्यू के कारण फार्मा अपने प्रोडक्ट वापस मंगा रही हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए)की रिपोर्ट में बताया गया है कि ल्यूपिन की एक यूएस यूनिट ने बैक्टीरियल इंफेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा को वापस मंगाया है।

बाल्टीमोर बेस्ड ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स इंक ने कंटेट यूनिफॉर्मिटी स्पेसिफिकेशन फेल के कारण ओरल सस्पेंशन (USP 200 mg@5 mL) के लिए Cefinime की 3,552 बोतलें वापस मंगाई हैं। बता दें कि कंपनी ने इस साल 30 मई को क्लास II नेशनवाइड (US) रिकॉल शुरू किया था। इसी तरह अरबिंदो फार्मा की सब्सिडिटरी न्यू जर्सी स्थित Eugia US LLC, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन यूएसपी की 70,125 शीशियों को वापस मंगाया है। यूएसएफडीए के अनुसार कंपनी ने कहा कि वह impurities@degradation specifications के विफल होने के कारण प्रभावित लॉट को वापस ले रही है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में ल्यूपिन कंपनी के शेयर में 82.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, अरबिंदों फार्मा के शेयर में एक साल में 77.36 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फार्मा कंपनी ल्यूपिन और अरबिंदो ने यूएस मार्केट से अपनी दवाइयां वापस मंगाई हैं।

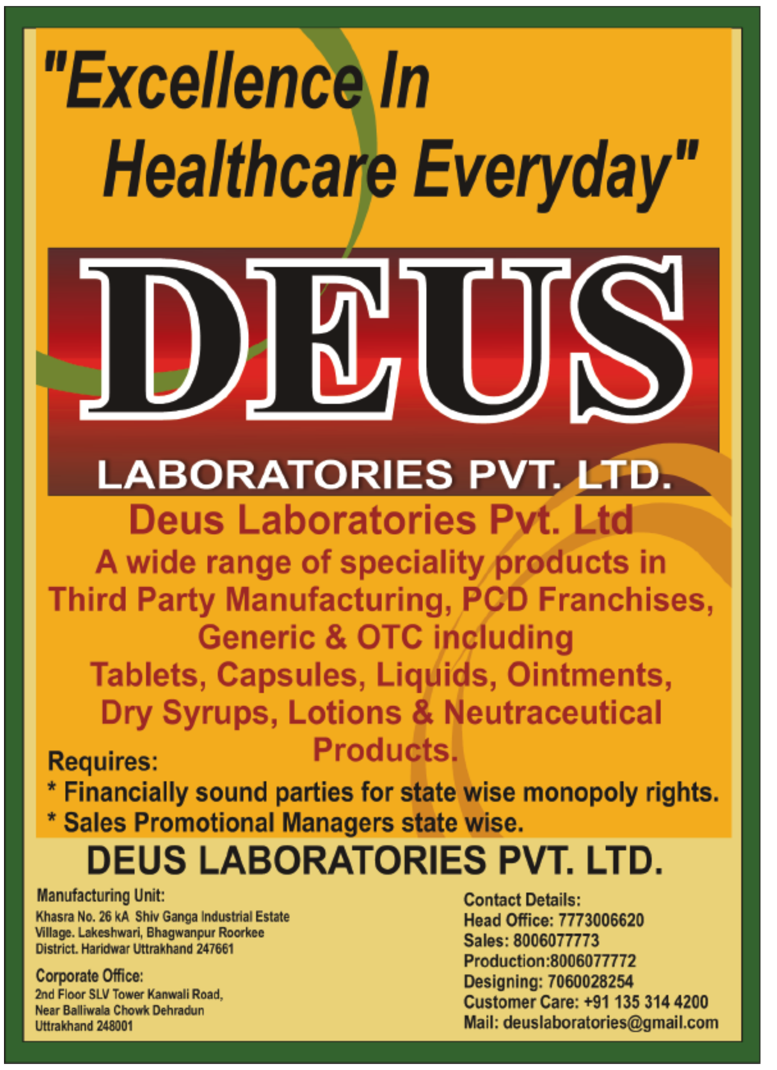

ब्लड प्रेशर की दवा से डायबिटीज रोगियों की आंखों की रोशनी रहेगी बरकरार

जोधपुर: ब्लड प्रेशर की दवा नेफ्रोनिल को डायबिटिक यानि शुगर (मधुमेह) से पीडित रोगियों के लिए लाभकारी पाया गया है। नेफ्रोनिल डायबिटीज रोगियों की आंखों की रोशनी को कम होने से बचाती है। यह खुलासा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग की ओर से एम्स जोधपुर के साथ मिलकर किए गए नए शोध में हुआ है। शोधकर्ताओं ने डायबिटीज से ग्रसित चूहों पर यह प्रयोग किए।

इसके अच्छे परिणाम मिलने पर अब डॉक्टर नेफ्रोनिल का उपयोग रोगियों पर कर सकेंगे। गौरतलब है कि यह शोध जेएनवीयू के प्राणी शास्त्र विभाग के डॉ. हीराराम, एम्स बायोकेमेस्ट्री विभाग के धर्मवीर यादव सहित अन्य शोधकर्ताओं ने किया है। इसे अमरीका के विले पब्लिकेशन ने अपने जर्नल बायोटेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड बायोकेमेस्ट्री में प्रकाशित किया है। बता दें कि नेफ्रोनिल ब्लड प्रेशर में काम आने वाली पुरानी दवा है। आजकल इस दवा का प्रयोग डॉक्टर कम ही करते हैं।

डायबिटीज को बढने नहीं देती यह दवा : डायबिटिक मरीजों की आंखों में रेटिना की रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और धीरे-धीरे रोशनी चली जाती है। रेटिनोपैथी के लिए तीन एंजाइम जिम्मेदार हैं। एल्डोलेज रिडक्टेज ग्लूकोज बढ़ाता है। एसीई-2 एंजाइम रक्त वाहिकाओं पर केपेलरी प्रेशर बढ़ाता है। डीपीपी-4 इंसुलिन का स्राव रोकता है। नेफ्रोनिल तीनों एंजाइमों को बाधित कर देती है। इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्राणीशास्त्र विभाग के डॉ. हीराराम का कहना है कि उम्र के साथ डायबिटीक मरीजों को सर्वाधिक परेशानी इस बीमारी के कारण होने वाली अन्य बीमारियों से होती है। नेफ्रोनिल आंखों की रोशनी बनाए रखने में बेहतर साबित हुई है। ब्लड प्रेशर की दवा नेफ्रोनिल को डायबिटिक यानि शुगर (मधुमेह) से पीडित रोगियों के लिए लाभकारी पाया गया है।

जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने तथा वृद्ध शरीर को त्यागकर नये शरीर को प्राप्त करती है.

दवा लाइसेंस नहीं दिखा पाया संचालक, मेडिकल स्टोर सील

हलसी: दवा लाइसेंस नहीं दिखा पाने पर एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने हलसी सामुदायिक स्वास्थ केंद्र स्थित बुद्धा सेवा सदन में छापेमारी की। इस दौरान कुछ दवाओं के सैंपल लिए गए तथा दवाइयों को सील कर जब्त कर लिया गया। संचालक द्वारा दवा बिक्री का लाइसेंस नहीं दिखा पाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम ने बताया कि हलसी सामुदायिक स्वास्थ केंद्र स्थित बुद्धा सेवा सदन में छापेमारी की थी। इस मौके पर हलसी थाना के एएसआई पिंटू कुमार दल बल के साथ मौजूद रहे। दुकानदार से लाइसेंस मांगा तो वह इसे नहीं दिखा सका। दुकान से कुछ दवाओं के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि दवा दुकानदार को कागजात के साथ कार्यालय बुलाया गया है।

ऑपरेशन के बदले पैसे मांगने पर सिविल सर्जन सस्पेंड

कोरिया (छत्तीसगढ़): ऑपरेशन के बदले मरीजों से पैसे मांगने के आरोप में सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। पैसो के लिए इनकार करने पर मरीज का इलाज नहीं करने से कर दिया था इनकार।

नशीली टेबलेट की अवैध बिक्री के लिए घूम रहे तीन गिरफ्तार

रायपुर: प्राप्त समाचार के अनुसार नशीली टेबलेट की अवैध बिक्री के लिए घूम रहे तीन युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध स्थित एम्स अस्पताल गेट नंबर एक के पास ई-रिक्शा में सवार कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखे हुए हैं। वे इनकी बिक्री करने के चक्कर में है। इस पर मुखबीर द्वारा बताये गए ई-रिक्शा वाहन को पहचान की गई। वाहन में तीन व्यक्ति सवार मिले। उन्होंने पूछताछ में अपना नाम अमन सोनेकर उर्फ सन्नी, विरेन्द्र सोनी उर्फ तुतरू एवं गौतम सोनी उर्फ तरूण निवासी सरस्वती नगर रायपुर बताया। टीम के सदस्यों ने उनके पास रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें स्पासमो नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट मिली। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में तीनों से वैध दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा पाए। इसके चलते टीम के सदस्यों ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 2736 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो एवं घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (सवारी वाहन) जिसकी कीमत करीब 1,77,360/-रूपये है, को जब्त कर लिया। तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में नारकोटिक एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया।

4 वर्ष तक घर बैठे यह समाचार पत्र पढ़ने के लिये हमारे पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 1824002100120081, IFSC Code - PUNB0145020 जो कि मैडीकल दर्पण के नाम से है, में रू० 500/- जमा कर अपना पूरा पता हमारे फोन नं०- 09045029158 पर SMS कर दें।

महिला ड्रग इंस्पेक्टर ने मांगी 1 लाख रुपये रिश्वत, सहायक गिरफ्तार

मुंबईः प्राप्त समाचार के अनुसार महिला ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये रिश्वत मांगने पर उनके सहायक मेडिकल स्टोर संच.ालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पालघर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने की। पालघर में ड्रग इंस्पेक्टर आरती शिरीष कांबली ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत लेने पर उनके सहायक और मोरेगांव नाला. सोपारा में स्थित दुर्गा मेडिकल स्टोर के मालिक कृष्ण कुमार आशाराम तिवारी को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर आरती शिरीष कांबली ने शिकायतकर्ता के मेडिकल स्टोर पर गत 14 जून 2024 को छापेमारी की थी। इसके बाद औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन नियम 1940 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर मेडिकल स्टोर को बंद करने का नोटिस सौंपा था। इसके बाद शिकायतकर्ता का मेडिकल स्टोर बंद करा दिया गया।

मेडिकल स्टोर दोबारा शुरू करने के नाम पर मांगी रिश्वत : शिकायतकर्ता का बंद मेडिकल स्टोर पुनः शुरू कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर आरती शिरीष कांबली ने एक लाख रुपए की मांग की थी। पीडित ने पालघर के एंटी करप्शन ब्यूरो को इस संबंध में शिकायत दी। ब्यूरो ने इस मामले में जांच पड़ताल की। ड्रग इंस्पेक्टर आरती शिरीष कांबली ने शिकायतकर्ता से दोबारा उनका बंद मेडिकल स्टोर शुरू कराने के लिए एक लाख रुपए मांगे और यह राशि नालासोपारा में स्थित दुर्गा मेडिकल स्टोर के मालिक को सौंपने के लिए दबाव डाला।

ड्रग इंस्पेक्टर पर भी कार्यवाही जारी : शिकायतकर्ता जब ड्रग इंस्पेक्टर के निर्देश पर मेडिकल स्टोर के मालिक कृष्ण कुमार तिवारी को एक लाख रुपए दे रहा था तो पालघर एंटी करप्शन ब्यूरो ने तिवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब ड्रग इंस्पेक्टर पर भी कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता का बंद मेडिकल स्टोर पुनः शुरू कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर आरती शिरीष कांबली ने एक लाख रुपए की मांग की थी। महिला ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये रिश्वत मांगने पर उनके सहायक मेडिकल स्टोर संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं।

नशीली दवा का जखीरा पकड़ा, दवा केडीजरेक्स की 38 बोतलें बरामद

शिमलाः प्राप्त समाचार के अनुसार नशीली दवा का जखीरा जब्त करने में पुलिस टीम को भारी सफलता मिली है। पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर अप्पर शिमला के चौपाल कस्बे में आधी रात को एक मकान में दबिश दी और आरोपियों को धर दबोचा। निरीक्षण के दौरान पता चला कि आरोपी एक निजी भवन में किराए के कमरे में नशीली दवाओं की तस्करी को अंजाम दे रहे थे।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में नेरवा निवासी 25 वर्षीय चिराग और 25 वर्षीय निशांत, चौपाल निवासी 31 वर्षीय राकेश, 34 वर्षीय गुलशन और कुपवी निवासी 25 वर्षीय पवन शामिल हैं। डीएसपी चौपाल सुशांत शर्मा ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ चौपाल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पकड़े गए सभी नशा तस्कर युवा हैं। डीएसपी ने अभिभावकों से अपने बच्चों पर सतर्क रहने और उन पर नजर रखने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि छात्र और युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं और असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।

www.medicaldarpan.com

नशीली दवा याबा की तस्करी रोकी

गुवाहाटीः नशीली दवा की तस्करी रोकने में पुलिस को सफलता मिली है। मौके से दो तस्करों को अरेस्ट कर 9 करोड़ कीमत की नशीली दवा जब्त की गई है। करीमगंज पुलिस और बीएसएफ –जी शाखा, करीमगंज ने संयुक्त अभियान चलाकर 30 हजार नशीली याबा गोलियां जब्त कीं। संयुक्त सुरक्षा दल ने प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने वाले दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद की गई नशीली दवा की कीमत नौ करोड़ रुपये मूल्य बताई गई है।

PCD DISTRIBUTORS / STOCKIST REQUIRED ALL INDIA DISTT. WISE

MIZAP 15 & 30 | R-DONE | ZOPLON | ESCITAM 10 & 20 | ETZ-P | ETZ-MD
PRIME-CR/C | LAMOTRI | ZOPINE 25/50/100 | ETZ-E PLUS | ETZ-PLUS H | DISOVAL
DULOX 20 & 30 | DEP 10/25/50/75 | Haloxin 50/100 | AMISUL 50/100/200 | NASE | EQUILISER 5/10/25
KUITE 50/100 200SR/300SR | PAX | Neutam | Valpaxin CR 200/300/500 | SERNITE-10 | Din 10/20
KLOPAM 0.5/1/2 | AMOXAP 50 & 100 | R-DONE plus 2/3/4 | OXYZARIL 150/300 | ESCITAM-C | CALM PLUS
HENSO | DEP PLUS / DEP PLUS-H | LITHONASE 300/400 SR | PROSIKLO 2.5/5 | O-NIL 10/25/50 | VERTIHIST 8/16
BAZAM 5/10 MG CLOBAZAM | Prime C/ Plus CR | Prega M | HALLMARK MB | LYNEX-A-PLUS | VITONURON-Z-G
ZARIL | HIORIL Thioridazine 5mg | MIN 25 50 75 | Relaxofitt | Discovery Plus | RPZ-10 / RPZ-15 | One D3
L-CETAM 2500/500/750 MG LEVETIRACETAM | P DOME | PROPAM 40 SR Propenolal | SENSO

3rd PARTY MANUFACTURING WELCOMED
HARYANA FORMULATIONS (P) LTD.
Contact No. 093166-23450, 93166-00006

EXPERIENCED MANAGR MARKETING MEDICAL REP. REQUIRED, MAY APPLY

शुगर की नकली दवा से रहें सावधान : WHO

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार शुगर की नकली दवा बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। इनसे आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने भी इस दवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने लोगों को नकली ओजेम्पिक दवाओं से बचने की सलाह दी है। गौरतलब है कि मोटापा कंट्रोल करने के लिए लोग हर दिन दवा खाते हैं। बेहतर लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट के साथ डायबिटीज की दवा बेहद असरदार साबित होती है।

यही वजह है कि शुगर के मरीज नियमित दवा का इस्तेमाल करते हैं। विश्व में शुगर लेवल कंट्रोल करने और वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक (सेमाग्लूटाइड) ड्रग्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डायबिटीज और वेट लॉस के लिए सेमाग्लूटाइड ड्रग वाली दवा इस्तेमाल की जाती है। हालांकि कई देशों में नकली सेमाग्लूटाइड्स की दवाएं मिली हैं। इससे लोगों की सेहत के लिए खतरा बढ़ गया है। पिछले साल अक्टूबर में ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में नकली दवाएं मिली थीं। इसके बाद दिसंबर 2023 में यूएस में नकली दवाओं का पता चला था। नकली दवा की रिपोर्टों की पुष्टि के बाद डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। हेल्थ प्रोफेशनल्स, अथॉरिटीज और लोगों को इन नकली दवाओं के बारे में सचेत रहने को कहा है। अगर इन दवाओं में जरूरी ड्रग्स नहीं है, तो ये दवाएं ब्लड शुगर को अनकंट्रोल कर सकती हैं। इससे शुगर के मरीजों को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, वेट लॉस के लिए नकली दवाएं लेने से भी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। इससे जान भी जा सकती है। आमजन को सलाह दी गई है कि नकली दवाओं और उनके खतरनाक असर से खुद को बचाने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाएं खरीदनी चाहिए।

We can't spell S ccess without 'u'
Plusindia

* GMP and SCHEDULE M Certified Unit
* WHO MANUFACTURING PLANT
* ISO 9001:2015 Certification
PLUSINDIA Group one among 5000 Best MSME IN 2017 & Business Excellence Award Winner in 2018.

BACIPLUS	Each 5 ml oral suspension contains : Bacillus Clausii Spores (UBBC-07) 2 billion spores. Susp
BIONORM	Thyroxine Sodium 12.5/25/50/75/100/125 mg.
FLOCAD	Calcium Dobesilate Monohydrate500mg Cap
PEREZ-100 SR	Nitrofurantoin 100mg Tab.
RIF 200/400	Rifaximin 200/400mg Tab.

Beulah Biomedics | GENXMEDICA (A DIVISION OF PLUSINDIA) | LIFE CARE HERITAGE FORMULATIONS (P) LTD. | grace PHARMA
Web site : www.plusindia.in Ph: 9440894154/9885500050
E-mail : plusindia2003@yahoo.co.in, plusindia2003@gmail.com

भारतीय फार्मा निर्यात: 2029 तक पेटेंट रहित दवा बाजार में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अवसर

हैदराबाद: वाणिज्य विभाग के तहत आने वाली संस्था फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 2023 से 2029 के दौरान 112 बिलियन अमरीकी डॉलर के राजस्व वाली 15 ब्लॉकबस्टर दवाओं का पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा और भारतीय फार्मा उद्योग के पास जेनेरिक (कॉम्प्लेक्स सहित) के रूप में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का विकास अवसर होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, फार्माक्सिल के महानिदेशक उदय भास्कर ने यह भी कहा कि भारतीय फार्मा निर्यात ने इस साल अप्रैल और मई के दौरान 8.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.35 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 4.73 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक नियामक एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता संबंधी चिंताएं उठाए जाने के बाद, फार्मेक्सिल की प्राथमिकता गुणवत्ता प्रबंधन और राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से उद्योग में गुणवत्ता संस्कृति को आत्मसात करने पर स्थानांतरित हो गई है ताकि वैश्विक मंच पर भारतीय फार्मा की छवि को बनाए रखा जा सके।

फार्मा निर्यात निकाय के अनुसार, भारत में 748 अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण सुविधाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय फार्मा क्षेत्र भू-राजनी. तिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे, मूल्य निर्धारण दबाव और वैश्विक नियामक एजेंसियों द्वारा बढ़ती जांच जैसी चुनौतियों से भरा हुआ है और सरकार को इन बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय होने की आवश्यकता है। अधिकारी ने कहा, 2023-29 के दौरान, 112 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की 15 ब्लॉकबस्टर दवाओं (जैविक उत्पादों सहित) का पेटेंट रद्द किया जाएगा, जो भारत की दवा कंपनियों के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त विकास के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करेगा। फार्मेक्सिल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मर्क की पेम्ब्रोलिजुमाब (कीट्रूडा) जैसी दवाएँ, जिनका राजस्व 25 बिलियन अमरीकी डॉलर था और ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब की एलिकिस (एपिक्सैबन)-12 बिलियन अमरीकी डॉलर, अन्य के अलावा अगले कुछ वर्षों में पेटेंट रद्द कर दी जाएँगी। उनके अनुसार, भारतीय फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2005 में 3.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 27.85 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और इस वित्त वर्ष में इसके 31 बिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास पहुँचने की उम्मीद है। भास्कर ने कहा कि अप्रैल और मई के दौरान भारत का आयात मामूली रूप से 1.98 प्रतिशत बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 23 में 8.10 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 8.26 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। उनके अनुसार, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका भारतीय फार्मा निर्यात के लिए केंद्रित भौगोलिक क्षेत्र हैं।

वोनोप्राजन टैबलेट के लिए सनफार्मा ने किया टकेडा से समझौता

नई दिल्ली: वोनोप्राजन टैबलेट के लिए सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने टकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है। इस दवा का इस्तेमाल रिफ्लक्स एसोफैगिटिस और अन्य अम्ल पाचन संबंधी विकारों के इलाज में किया जाता है। मुंबई स्थित सन फार्मा कंपनी ने कहा कि उसने भारत में 10 और 20 मिलीग्राम की मात्रा में वोनोप्राजन टैबलेट के व्यावसायीकरण के लिए टेकेडा के साथ एक गैर-अनन्य पेटेंट लाइसेंसिंग समझौता किया है। वोनोप्राजन एक नया, सक्रिय पोटेशियम प्रतिस्पर्धी एसिड अवरोधक (पीसीएबी) है। इसका उपयोग रिफ्लक्स एसोफैगिटिस और अन्य अम्ल पाचन संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। सनफार्मा के भारतीय कारोबार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कीर्ति गनोरकर ने कहा कि सन फार्मा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अग्रणी है और वे टकेडा से गैर-अनन्य पेटेंट लाइसेंस के तहत भारत में वोनोप्राजन को पेश करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रिफ्लक्स एसोफैगिटिस और अन्य पाचन संबंधी विकारों के लिए एक नया इलाज देती है। बता दें कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) भारत में आम है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के बारे में बता दें कि जब हम भोजन खाते हैं, तो यह गले से ग्रासनली के माध्यम से पेट में जाता है। निचली ग्रासनली में मांसपेशी तंतुओं का एक रिंग शेप का गेट एसोफैजियल स्फिंक्टर होता है। यह निगले हुए भोजन को वापस ऊपर आने से रोकता है। जब यह एसोफैजियल स्फिंक्टर पूरी तरह से बंद नहीं होता तो पेट का खाना वापस ग्रासनली में आ जाता है। इसे ही रिफ्लक्स या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स कहा जाता है।

2 हॉस्पिटल्स का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल

रामगढ़: 2 हॉस्पिटल्स का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, वहीं एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। उपरोक्त सभी अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार को राज्य स्तर से निरीक्षण प्रतिवेदन मिले थे। इनमें की गई अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई की गई। बीएम सेवा सदन गोला का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, अदिति नर्सिंग होम, गोला एवं वरदान हॉस्पिटल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों संस्थानों का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। उपायुक्त ने सभी अस्पताल संचालकों को एक चिकित्सक, योग्य स्टाफ की उपस्थिति, मेडिकल रिकॉर्ड का समुचित रख-रखाव, जैविक अपशिष्ट से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन, फायर एनओसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते माह राज्य एवं जिला स्तरीय टीम ने संयुक्त रूप से अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इसी के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

निजी अस्पताल से नवजात चोरी

बरेली: निजी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। इसके चलते परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। इज्जतनगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत निवासी सुशील कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी कोमल ने 22 दिन पहले बेटे को जन्म दिया था। बच्चे की हालात में सुधार नहीं हो रहा था तो उन्होंने बरेली के डोहरा मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में उसे मशीन में रखवा दिया। चार दिन से बच्चा यहां भर्ती था और परिवार के लोग भी अस्पताल परिसर में ही रह रहे थे।

India's Biggest Pharma Event in the Gorakhpur
ASSOCIATION PARTNER
Top Leading Pharma Companies Will Participate in Indian Fharma Fair
Powered By medicant Nutrients
INDIAN PHARMA FAIR
PERFECT BUSINESS GROWTH PLATFORM
Free Registration
65+ Exhibitors
7000+ Visitors
16-17 AUGUST 2024
FREE REGISTRATION FOR VISITORS +91 9971516888
11th Edition GORAKHPUR
Cozy Resort, Medical College Road, Jhungia, Gorakhpur
Platinum Partner | Gold Partner | Silver Partner | Supported Partner | Supported Partner | Supported Partner | Supported Partner
PCHPL | Lifecare | Matteo | UNGROW | Besti BIOTECH
Printing & Gifts Partner | Technology Partner | Media Partner | Online Media Partner
Graphic Ganga | Marg | intellistoll
Meet with industry giants for fresh insights and innovative inspiration to elevate your pharmaceutical business.

Contact: +91- 9971516888, 8920619126 |
Email: indianfharmafair@gmail.com, | Website: www.indianfharmafair.com

बैठक

कानपुर में हुई यूपी के दवा व्यापारियों की मीटिंग में आगरा रिटेल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने अपने अधिकार के लिए बयान दिया। उन्होने आत्मीयता का दर्द और अपनी बात रखी, जिसमें पदाधिकारी आगरा रिटेल व्यापारियों का शोषण ना हो सके, कटिंग की गोलियां वापस हो जाएं किसी व्यापारियों का कोई नुकसान ना हो, आगरा रिटेल एसोसिएशन के पदाधिकारी अगर रिटेल व्यापारी एक नहीं हुआ तो व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाएगा अब 30 परसेंट बिजनेस प्रधानमंत्री योजना को गया जो जेनेरिक दवाइयां बेच रहे हैं, 30% व्यापार मोनोपोली दवाइयां जो डॉक्टर खुद ही मंगा कर बैच रहे, एवं 20 परसेंट व्यापार ऑनलाइन खा गया। अब 20 परसेंट बचा है उससे कैसे निकालेगा खर्चा। यह आपको सोचना है, इसलिए अब एकजुट होने का समय है। **Aashish Brahmbhatt Agra 9897811055**

Shreenamo biotech
Shreenamo Biotech Pvt. Ltd.
Plot No. 86, Sector-IIDC, IIE Sidcul, Haridwar, Uttarakhand - 249403

Contact For Export, Manufacturing & Franchise
Approved Section
Tablets | Capsules | Liquid | Ointment | Cosmetics | Sachets
We have more than 1500 Approved Molecules
Welcome for small batches, Loan Licence, Third Party Manufacturing, PCD & Export Query from all over India.
Contact No: +91 98106 40074, +91 93126 40074, 01334-297251
Email: salesshreenamo@gmail.com | www.shreenamo.com

Our Range
TABLET
CAPSULE
DRY SYRUP
OINTMENT
SYRUP
INJECTABLE
HERBAL PRODUCTS
SHAMPOO
SOAP
SOFT GEL
PROTEIN POWDER
SACHET
Our Group Companies
ZANEKA Healthcare Ltd.
Ambience Pharma
R.D.N. PHARMACEUTICALS
AvrioLifecare

Ambience Pharma
Contributing to the HEALTH of Individuals WORLD WIDE
Why WE ?
- Attractive Packing & Best Quality Medicines
- Latest Molecules & High Efficacy
- Monopoly Rights & Timely Delivery
- Competitive Price with Best Promotional Inputs
- Special Schemes for Nursing Homes & Hospitals.
- Wide Range of More than 400 Products

OUR TOP SELLING PRODUCTS
- Ampicillin 250 mg + Dicloxacillin 250 mg Capsule
- Itraconazole 400 SR / 200/ 100 Capsules
- Levofloxacin 250 mg + Ornidazole 500 mg Tablets/Kid Suspension
- Etoricoxib 60 mg + Thiocolchicoside 4 mg Tablets
- Rabeprazole 20 mg + Domperidone 30 mg Capsules
- Esomeprazole 40 mg + Domperidone 30 mg Capsules
- Cefpodoxime Proxetil 200 mg + Ofloxacin 200 mg Tablets
- Lyophilized Sachromyces Boulardii Sachets
- Rabeprazole 20 mg + Levosulpride 75 mg Capsules
- Lactitol Suspension
- Clopedogrel Tablets 75 mg
- Codeine Syrup
- Lactulose 10 g + White Dextrin 3.5 g + Polydextrose 2.1 g & Fructo-oligosaccharides 2.5 g Suspension

Third Party Manufacturing in WHO-GMP Unit.
Dedicated Plant for Clav Products.
TRADE ENQUIRES ARE WELCOME FOR PCD / FRANCHISEE / THIRD PARTY MANUFACTURING AT :-
Ph. +91-9997971077, +91-9627761357
Email :- ambiencepharma@gmail.com
www.ambiencepharma.com

अमृत और मृत्यु - दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" -चाणक्य

GRAPHIC design
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
In order to help my fellow colleagues to revamp their business post Covid-19 our special discounted rates for Visual Aids designing and printing are as follows :
Charges : Book type Rs. 35 per page + Rs 200 for book binding,
Spiral bound stand type Rs. 25 per page + Rs 200 for spiral binding
(Designing Free and no restrictions on minimum numbers of visual aids to be printed) .
Visual Aids
Catch Covers
Leave Behind Cards
Reminder Cards
Dr's Request Cards
Stickers
Packing Labels
Boxes
Physician's Samples
PRINTING
Medical Writers & Illustrators
Contact or write to:
Medical Writers & Illustrators. WZ-91 B, Tatarpur (Near Metro pillar No. 431) Tagore Garden , New Delhi-110027. Mob. 9871696965 / 9971696965
Ph. 011-25458331 / 011-45613764. email: medicalwriters01@gmail.com

शुगर और बुखार के इलाज का दावा करने वाली मेडिसिन जब्त

हैदराबाद: शुगर और बुखार के इलाज का दवा के लेबल पर भ्रामक दावा करने वाली मेडिसिन जब्त की गई हैं। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) के अधिकारियों ने बाजार में दवा दुकानों पर दबिश दी। टीम ने कई ऐसी दवाओं की पहचान की है, जिनके लेबल पर भ्रामक दावे किए गए थे। इनमें मधुमेह और बुखार के इलाज का दावा किया गया था। डीसीए ने भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया । इस दौरान अधिकारियों ने डायोफिल कैप्सूल का पता लगाया, जो मधुमेह के इलाज का दावा करते हैं। वहीं, बुखार के इलाज का दावा करने वाला कालमेघ पाउडर पकड़ा।

दवा दुकानों पर छापेमारी : विकाराबाद जिले के परिगी में एक मेडिकल दुकान पर छापेमारी के दौरान आयुर्वेदिक दवा डियोफिल कैप्सूल का स्टॉक जब्त कर लिया गया। यह दवा हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में जी लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विनायक हर्बल्स आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा निर्मित कालमेघ पाउडर के स्टॉक को सिकंदराबाद के तारनाका में एक मेडिकल स्टोर पर छापे के दौरान जब्त कर लिया गया।

फर्जी डॉक्टर के क्लीनिक पर रेड : अधिकारियों ने आदिलाबाद जिले के दसनापुर गांव में ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) के रूप में काम करने वाले एक झोलाछाप डॉक्टर वैकुंठम के परिसर पर भी छापा मारा। वैकुंठम अपने क्लिनिक में उचित योग्यता के बिना चिकित्सा का अभ्यास कर रहा था। अधिकारियों को मौके से बिना ड्रग लाइसेंस के भंडारित दवाओं का बड़ा भंडार मिला। एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड, एनाल्जेसिक और अल्सर रोधी दवाओं सहित कुल 26 प्रकार की दवाएं पाई गईं। जब्त किए गए स्टॉक की कीमत करीब 20 हजार रुपये है। शुगर और बुखार के इलाज का दवा के लेबल पर भ्रामक दावा करने वाली मेडिसिन जब्त की गई हैं।

1st time in Bharat
6 in 1 Customizable ERP
Trusted by 90000 + of users across GLOBE
Finance
Sales Force Automation
Supply Chain Management
HR-Payroll
Manufacturing Module
E-commerce
CBO Central Business Online
The Perfect Way of Customization
CBO ERP Limited
An ISO 27001:2013 Company
We have1300+ Satisfied Companies
Our presence is in more than 10 countries
+91-9891886164 info@cboerp.com www.cboerp.com

योग शिविर

अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के निमित्त वसुधैव कुटुंबकम जनहित फाउंडेशन हल्द्वानी द्वारा एक विशाल योग शिविर का आयोजन पुलिस योगा पार्क हीरा नगर में किया गया। कार्यक्रम सरस्वती वंदना गायन के साथ प्रारंभ हुआ। योग प्रशिक्षका पारुल सचदेवा एवं दीपा जोशी द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 200 लोगो ने शिविर में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। शिविर में पूजा रत्न ट्रस्ट, आई डी अफसी फस्ट बैंक, देवभूमि फार्मासिस्ट असोसिएशन, हैल्पिंग हैंड चेरिटेबल ट्रस्ट आदि संगठनो ने भी प्रतिभाग किया एवं नगर निगम के कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम मे डॉ भावना गुप्ता, दीपा जोशी,संजय त्यागी, आकांक्षा भटनागर, हिमानी सनवाल, शशी सिंह,नीरज कांडपाल, बेबी गोयल, ऋतु, भुवन सती, ऐश्वर्या कांडपाल, भानु पाण्डे, तनिष्क त्यागी, सूरज कुमार, सागर मल्होत्रा, फॉण्टी भाई, भुवन चन्द भट्ट, दीपेंद्र जोशी, राजेन्द्र बिष्ट, करन नेगी, पंकज राम, पंकज पांडे, रवि गोस्वामी, हर्षित जोशी, शिवानी, मीनाक्षी,संदीप गांधी, हेमा बिष्ट, रजनी पाण्डे, आर्यन, वंश सडाना, देशु तोमर, आदर्श, गोकुल ब्लॉगर आदि मौजूद रहे।

प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ तस्कर काबू, भेजा जेल

रक्सौल: प्रतिबंधित नशीली दवा की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है। हरैया थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह के अनुसार नशीली दवा की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने परेउआ रेल फाटक के पास छापेमारी करके एक तस्कर रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की तलाशी में 360 शीशी प्रतिबंधित नशीली दवा कफ सिरप मिली है। पुलिस रेल फाटक के पास संदिग्ध लोगों पर नजर रखे हुए थी।

Our vision a Healthy World
Golden opportunity to join hands with fastest growing pharmaceutical company having widest range of products.
750 + Products
New Generation Molecules
Tablets, Capsules, Ointment/Gel, Sun Screen, Shampoo, Face Wash, Dusting Powder, Mouth Wash, Dry Syrup/Syrup/Suspension, Injectable, Protein Powder, Sachet, Softgel Capsule
Brand promotional inputs available like :
Visual-Aids, Leaflet & Pads, Product Glossary, Gifts, Reminder Cards, Visiting Card, Bags, Catch Cover
OVER 1200 SATISFIED CUSTOMER
All Brands are Trademark
International Standard Packing
Super Franchises/Franchisee/Promoters with sound financial background & pharma selling experience are welcome for distribution rights on monopoly basis for unrepresented areas, please contact to our Corporate Office
Our Divisions
American Biocare (General Products), WELLSBURG (General Products), Solacia (Derma Products), Solacia (Cardiac & Diabetic Products), GOIND (Ayurvedic Products)
(AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED CO.)
R.C. B NO. 2, ROOM NO. 15, CHEMBUR COLONY, CHEMBUR, MUMBAI-400074
OVERSEAS OFFICE : PARK DRIVE,MELVILLE, NEW YORK - 11747 U.S.A
CORPORATE OFFICE :
American Biocare, "Maa Sharda Niwas" 266 - Napier Town, Near Bhawartal Garden, JABALPUR - 482001 (M.P.)
Phone : +91-761-2450887 Mobile : 09479638088, 09424698888
E-MAIL : americanbiocare@gmail.com Visit us at : www.americanbiocare.in, www.americanbiocare.co.in

अल्प्राजोआल्म टेबलेट्स का सप्लायर अरेस्ट

इंदौर: अल्प्राजोआल्म टेबलेट्स की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किए व्यक्ति से अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही अल्प्राजोलम की 225 टेबलेट जब्त की हैं। खजराना एसीपी कुंदन मंडलोई ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से लोगों को अल्प्राजोलम टेबलेट की सप्लाई कर रहा है। सूचना के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया और दोपहिया वाहन पर आ रहे खजराना के गांधीग्राम निवासी 30 वर्षीय इमरान उर्फ बच्चा को संदेह के आधार पर रोक लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अल्प्राजोलम की 225 गोलियां बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि आरोपी इमरान एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वह नशे का आदी भी बताया गया है। गौरतलब है कि अल्प्राजोलम को अलग-अलग व्यापा. रिक नामों से जाना जाता है। सबसे अधिक निर्धारित मनोदैहिक दवा है। इसके निषेधात्मक, उत्साहवर्धक और चिंताजनक प्रभावों के कारण मनोरंजन प्रयोजनों के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है।

सर्जिकल उपकरण और दवा सप्लाई का ठेका देने के नाम पर दो करोड़ ठगे

लखनऊ (उप्र): प्राप्त समाचार के अनुसार सर्जिकल उपकरण और दवा सप्लाई का ठेका देने के नाम पर दो करोड़ रुपये हड़प लेने का मामला प्रकाश में आया है। ठेकेदार ने इस बारे में डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार से शिकायत की। मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बरावन कला निवासी ठेकेदार आमीर मोहम्मद पिछले साल आईआईएम रोड निवासी अभिनंदन गुप्ता से मिले थे। अभिनंदन ने उन्हें बताया कि उसके जीजा की यश फार्मा के नाम से फर्म है। वह बड़े अस्पतालों में दवा के साथ सर्जिकल आइटम व अन्य उत्पाद सप्लाई करते हैं। हाल में कुछ और अस्पतालों से टेण्डर मिला है। उसे पूरा करने के लिए रुपयों की जरूरत है। निवेश करने वाले को अच्छा लाभ भी मिलेगा।

अभिनंदन ने इस तरह आमीर को अपनी बातों में उलझा लिया। कम वक्त में लाभ कमाने के लालच में आकर आमीर ने भी दो करोड़ रुपये लगा दिए। इसके बाद भी उन्हें मुनाफे में हिस्सा नहीं मिला। पूछताछ करने पर अभिनंदन, उसके रिश्तेदार अंशुमान, दीपक और आशीष उसे धमकाने लगे। इससे परेशान होकर पीडित ने डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार से मिलकर शिकायत की। डीसीपी के निर्देश पर दुबग्गा कोतवाली में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Park
ISO 9001:2015 GMP GLP WHO-COMPLIANS SCHEDULE M
Manufacturing Facility at Baddi, Himachal Pradesh
TABLETS CAPSULES LIQUIDS
INJECTION EYE/EAR & NASAL DROPS DRY SYRUP
Proposals Invited for Marketing Tie-ups, Contact/Third Party Manufacuturing/Export Orders
Looking Distributors on PCD/Franchisee Basis in un-represented area
SCO-206, First Floor, Sector-14, Panchkula (Haryana)
PH : +91 92170-80009, +91 92183 98388
PARK CARE SPACE CARE Care Health
Works : Village Kalujhanda, Teh. Baddi (H.P.)
Corporate Office : SCO 206, Ist Floor, Sector-14, Panchkula (Haryana)
E-mail : gmcontpark@gmail.com
Web Site : www.parkpharma.net

जन्मदिन पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं

MR. SHARAD PATIL JI	WARDHA	01/07/1977	9503971776
SHRI NILESH B. PAL JI	WARDHA	01/07/1976	9922782871
SHRI RAJDEEP M. FULZEL JI	NAGPUR	01/07/1976	9373946499
SHRI PRAVIN LADDHA JI	JALGAON	01/07/1959	9822667770
SHRI MUEHUL R.PATEL JI	PATAN	02/07/1998	9924077700
SHRI BHARAT SINGH RAO JI	SURAT	02/07/1986	9601038387
SHRI JAGDISH PRASAD CHAUDHARY JI	ALWAR	02/07/1973	9828342939
SHRI BHARAT MOHANLAL TOLANI JI	DHULE	03/07/1971	9422795946
SHRI MANOJ KUMAR GARG JI	AGRA	03/07/1972	9411961610
SHRI. SACHIN KUMAR JI	BULANDSHAHR	03/07/1976	9917116423
MR. VIJAY KUMAR JI	MEERUT	04/07/1973	9837671474
SHRI KISHOR SHARMA JI	PUNE	04/07/1980	8975046079
SHRI DAVARIYA JI	SURAT	05/07/1990	9913296896
DR. A.K. ROY (BANGALI) JI	BULANDSHAHR	05/07/1953	7063773454
MOHD. RIYAZ	AGRA	05/07/1974	9897671595
DR. DUSYANT SINGH SOLANKI JI	BULANDSHAHR	05/07/1998	6395341166
SHRI SHAM BHAU YEOLO	GONDIA	05/07/1954	9595614861
SHRI PARMANAND SINGHAL JI	ALWAR	05/07/1964	9414215410
SHRI RAMESH F. CHANDIWAL JI	JALGAON	06/07/1948	2572223516
SHRI VISHAL CHAURASIYA JI	AGRA	07/07/1977	9319204978
SHRI SANTOSH B.UGALE JI	NASHIK	07/07/1981	9527600077
SHRI KETAN V.BHAMARE JI	NASHIK	08/07/1988	9579932168
SHRI SANJAYKUMAR CHAURASIYA JI	AGRA	08/07/1966	9927413511
DR. R.K. VERMA JI	BULANDSHAHR	08/07/1989	9837238714
SHRI LALIT GOYAL JI	BULANDSHAHR	08/07/1993	9548201602
SHRI. NARENDRA KUMAR JI	BULANDSHAHR	08/07/1997	9761622517
SHRI MANOJ JAIN JI	ALWAR	08/07/1967	9461137140
SHRI HAREN GANDHI JI	VADODARA	09/07/1959	9825012218
DR. GAUTAM GAMBHIR JI	MEERUT	09/07/1978	9058162614
SHRI PRADIP K. SURANA JI	NASHIK	10/07/1963	9422271745
SHRI. MANVIRPAL SINGH JI	BULANDSHAHR	10/07/1980	9758887902
SHRI RAJESH KUMAR JI	AGRA	10/07/1988	8445863900
DR. RANJEET SINGH JI	BULANDSHAHR	10/07/1994	7409646848
SHRI VIRPAL SINGH JI	BULANDSHAHR	10/07/1980	9758887902
SHRI AMAR KARWA JI	NASHIK	11/07/1980	9822478110
SHRI SHASHIKANT.R DHAMNE JI	NASHIK	11/07/1971	9890177960
SHRI VEERBHAN KEVALRAMANI JI	NAGPUR	11/07/1974	9373294141
MR. MAYANK RASTOGI JI	MEERUT	12/07/1983	9897010575
SHRI PRAMOD BANKHELE JI	PUNE	14/07/1982	9890245999
SHRI PARAS SHAH JI	SURAT	15/07/1975	9825406233
SHRI. RAGIB JI	BULANDSHAHR	15/07/1994	8958888125
SHRI NARESH SINGH JI	BULANDSHAHR	15/07/1975	9719677483
DR. OM PRAKASH SINGH JI	MEERUT	15/07/1958	8791447726
DR. K.P. SHARMA JI	MEERUT	15/07/1992	9084444609
DR. WASIM CHAUHAN JI	MEERUT SOUTH	16/07/1982	9719801951
SHRI JITENDRA PATEL JI	PATAN	17/07/1973	9824667063
MR. MOHIT SINGH JI	MEERUT	19/07/1987	9837955198
SHRI VIPIN KUMAR JAIN JI	AGRA	20/07/1975	9927622298
Dr. SATENDRA SINGH JI	BULANDSHAHR	20/07/1994	8445082809
SHRI ASIF KHAN JI	JALGAON	20/07/1984	9730402053
MOHD. ZAMEEL AHMAD	ALWAR	21/07/1995	9462525467
PUSHKAR CHANDRAKANT PAKHALE JI	JALGAON	21/07/1988	9970311118
SHRI SAGAR D.SALVO JI	NASHIK	21/07/1991	9527590590
SHRI ABHIJIT MITHAPELLI JI	PUNE	25/07/1981	9371015697
SHRI RAJIV BAFNA JI	DHULE	22/07/1960	7276132195
SHRI LALWANI HIMMATBHAI JI	TAPI	22/07/1971	7567945237
DR. AZHAR KHAN MEWATI JI	BULANDSHAHR	23/07/1987	9759633167
SHRI BHARAT PATEL JI	VADODARA	24/07/1972	9825040276
SHRI NARESH KUMAR JAIN JI	ALWAR	27/07/1980	9461231744
SHRI VISHAL MANDAL JI	BULANDSHAHR	28/07/1997	8979296607
SHRI GANESH PUSTODE	BHANDARA	29/07/1980	9422565750
SHRI ATUL NAGJEKAR JI	NAGPUR	29/07/1976	9823044908
M.A.KALADAGI JI	BELGAUM	30/07/1985	8095067848
SHRI SANJAY JAIN JI	JALGAON	30/07/1966	9423520916
SHRI RAJESH K. RAMANI JI	SURAT	31/07/1972	9825519372
SHRI DEEPAK N. PATIL JI	NASHIK	31/07/1968	9422255252
SHRI RAKESH A. KHAIRNAR JI	NASHIK	31/07/1983	9970562732

नशीली दवा की खरीद-फरोख्त का भंडाफोड़

डेराबस्सी: नशीली दवा की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़, पुलिस ने दबिश देकर मौके से दो दर्जन लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। मुबारकपुर पुलिस ने त्रिवेदी कैंप गांव में नशीली दवाएं बेचने के संदेह में टेहा बस्ती में जाकर दबिश दी। पुलिस ने पूरी कॉलोनी को घेर लिया और हर घर की तलाशी ली। वहां बाहर से आए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

थाना प्रभारी सतनाम सिंह ने बताया कि टेहा बस्ती में नशीली दवाएं बेचने की शिकायत मिली थी। बताया गया था कि यहां दूर-दूर से लोग नशीली दवा खरीदने आते हैं। इस के चलते पुलिस ने भारी संख्या में पूरी बस्ती को घेर लिया। इसी बीच कॉलोनी में भगदड़ मच गई। पुलिस ने शक के आधार पर करीब दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें कुछ बाहर के युवक-युवतियां भी शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हिरासत में लिए लोगों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। अगर कोई नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त में दोषी मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

भाईंदर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सभा आयोजित

भाईंदर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा वार्षिक सर्वसाधारण सभा का आयोजन मांडवी हिल रिसोर्ट विरार पूर्ण में किया गया। जिसमें संस्था के 450 सभासद उपस्थित थे। इस सभा के सभी मुख्य अतिथि तथा मार्गदर्शक मुंबई झोन MSCDA के अध्यक्ष सम्माननीय हुकूमराज मेहता, सचिव सम्माननीय सुनील छाजेड़ कोषाध्यक्ष सम्माननीय विजय सुराणा साथ ही ठाणे जिल्हा केमिस्ट संघटना (CATD) के अधयक्ष सम्माननीय दिलीप देशमुख, सचिव सम्माननीय सुरेश भटट्, कोषाध्यक्ष सम्माननीय गणेश शेलके उपस्थित थे। सभी मुख्य अतिथियों ने उपस्थित सभी सभासदों का मार्गदर्शन किया संस्था के अध्यक्ष श्री अरविंद जैन, सचिव साहेबालाल यादव, कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी के साथ सभी पदाधिकारियों एवं झोनल लीडर ने पूरे उत्साह और सहयोग के साथ इस AGM को सफल बनाया।

ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर होगी ये सस्ती दवा

लखनऊ: ब्लैक फंगस के जैसे जटिल संक्रमण के इलाज के लिए अब एक सस्ती दवा इजाद कर ली गई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मात्र 30 रुपये की गोली से ब्लैक फंगस के रोग को ठीक करने में सफलता पाई है।

इट्राकोनाजोल नामक दवा कारगत साबित : आंखों के ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज में इट्राकोनाजोल नामक दवा कारगर साबित हुई है। इस कारण केजीएमयू के इस सफल शोध के बाद जर्नल स्प्रिंगर ने इसे प्रकाशित कर इसको मान्यता दी है। केजीएमयू संक्रामक रोग के चीफ डॉक्टर डी. हिमांशु ने बताया कि कोविड के दौरान जब कोरोना मरीज का ट्रीटमेंट होता था तो उसके उपरांत ब्लैक फंगस जैसी आंखों में बीमारी हो जाती थी। दरअसल, महामारी में मानव जीवन बचाने के लिए स्टेरॉइड का भी प्रयोग किया जाता था। इससे आंखो में ब्लैक फंगस होने लगते थे। बता दें कि यह कोई नई बीमारी नहीं है और इसके इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन इस्तेमाल में लाया जाता था। इस इंजेक्शन की कीमत लगभग दो हजार रुपये है। इसके अलावा, दो और दवाएं भी बाजार में हैं, जिनमें पोसाकोनाजोल और इसावुकोनोजोल के नाम शामिल हैं। पोसाकोनाजोल टैबलेट 450 रुपये तक आती है। वहीं इसावुकोनोजोल की एक गोली बहुत महंगी है। इसकी कीमत 5800 रुपये के आसपास है। डॉ हिमांशु ने बताया कि रिसर्च के वक्त फंगल इंफेक्शन के मरीज को इट्राकोनाजोल दवा छह महीने दो-दो गोली रोज खाने के लिए दी गई। इसमें आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए और मरीज की आंख में मौजूद ब्लैक फंगस बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकोर मोल्ड के संपर्क में आने से होता है और जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद और सड़ते फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं।

मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, नकली और एक्सपायरी दवाओं की जांच

बलिया: मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर नकली और एक्सपायरी दवाओं की जांच की गई है। औषधि निरीक्षक की टीम ने रतसर बाजार में दबिश दी और दो मेडिकल स्टोरों से 6 दवाओं के सैंपल लिए। इनके अलावा, तीन और दवा दुकानों का निरीक्षण किया । छापेमारी की सूचना से बाजार में कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने शटर गिराकर चले गए। औषधि निरीक्षक सिद्धेश्वर शुक्ला ने बताया कि नकली और एक्सपायरी दवाओं की बिक्री की शिकायत मिली थी। इसके चलते कई दवा दुकानों पर निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि नेशनल दवा केंद्र और न्यू मेडिसिन सेंटर से तीन-तीन दवाओं के सैंपल लिए गए। इसके अलावा मुन्ना मेडिकल स्टोर, न्यू दवा संगम व नेशनल मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। सभी मेडिकल स्टोरों के कागजातों, दवाओं की खरीद-बिक्री, स्टॉक रजिस्टर आदि कागजातों का निरीक्षण किया गया। दवाओं को स्टॉक व खरीद पर्चा से मिलान किया गया। उन्होंने बताया कि सभी सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी दवा दुकानदारों को हिदायत दी कि वे अपने-अपने स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लें ताकि वक्त पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।

लाइसेंस के बिना चल रहा मेडिकल स्टोर सील

रायबरेली: परशदेपुर। लाइसेंस के बिना चल रहे एक मेडिकल स्टोर को सील करने का मामला प्राकश में आया है। टीम ने स्टोर पर 30 हजार रुपये कीमत की दवाइयां सीज कर दी हैं। जिले के परशदेपुर-अमेठी मार्ग पर मटियारा चौराहा पर बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने दबिश दी। विरोध करने पर डीह व परशदेपुर चौकी पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। औषधि विभाग की टीम ने 30 हजार रुपये कीमत की दवाओं की सीज कर दिया है। इसके अलावा, मौके से चार संदिग्ध दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया है और संचालक के खिलाफ केस की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आशंका होने पर मटियारा चौराहा पर बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया।

प्रतिबंधित दवा अल्फा जोल्म की तस्करी पकड़ी, जखीरे समेत एक गिरफ्तार

इंदौर। प्रतिबंधित दवा का जखीरा बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खजराना पुलिस ने चैकिंग के दौरान स्टार चौराहा पर एक गाड़ी को रोका। तलाशी लेने पर गाड़ी से प्रतिबंधित दवा अल्फा जोल्म की करीब 225 टैबलेट बरामद की गई। दवा के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि आरोपी युवक राजस्थान से प्रतिबंधित दवाइयां लाया था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और आरोपी की निशानदेही पर कुछ और आरोपियों को पकडने की योजना बना रही है।

खजराना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी इमरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवा अल्फा जोल्म लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खजराना थाना क्षेत्र के स्टार चौराहे पर एक वाहन को संदेह के आधार पर रोका। वाहन की तलाशी ली गई तो गाड़ी में छिपाकर बनाए गए 1 बॉक्स में करीब 225 अल्फा जोल्म की टैबलेट मिली। आरोपी युवक से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह राजस्थान के कुछ ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिबंधित दवाइयां को लेकर इंदौर आ रहा था।

Contract Research manufacturer
In Quality and state of Art sections of-
AYURVEDIC AYUSH MARK PRODUCTS
TABLET | CAPSULES | OIL | BHASMA | SYRUP
COSMECEUTICALS
SERUM | PSORIASIS | VITILIGO | SKIN CARE | HAIR CARE
ALLOPATHIC
TABLET | CAPSULE | OINTMENT
NUTRACEUTICALS
Rajani Healthcare Products
Office Address: Purva Complex, Sadashiv Peth Pune 411 030, Maharashtra India
Plant: E-18/1, Jejuri MIDC Tel: Purander Dist: Pune Maharashtra India 412 303, www.rajanipharma.com
pharma789@gmail.com, export.rhcp@gmail.com, info@rajanipharma.com, business@rajanipharma.com
+91 20 24471007 +91 20 24473132 +91 9823096996 +91 8793340533 +91 9168316618 +91 9604639665

एंटीबायोटिक समेत 13 दवाओं के सैंपल जांच में मिले फेल

फर्रूखाबाद: एंटीबायोटिक समेत 13 दवाओं के सैंपल जांच में फेल मिले हैं। बीते दिनों मेडिकल स्टोरों से 13 दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए थे। वह सैंपल फेल मिले हैं, उनमें कई कंपनियों की एंटीबायोटिक व पेट से संबंधित दवाएं शामिल हैं। अब संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों और दवा कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला औषधि निरीक्षक ने जनपद के विभिन्न मेडिकल स्टोरों से जुलाई 2023 से लेकर अब तक दवाओं के कुल 73 सैंपल लिए थे। राजकीय प्रयोगशाला में इनकी जांच में 13 दवाओं के सैंपल फेल मिले हैं। इनमें थमेमिक्लेव (एमोक्सीसाइक्लिन एंड पोटेशियम क्लेवूलेनेट ओरल सस्पेंशन) 228.5एमजी, सिफपोडोक्सिम प्रोक्सेटिल 50 एमजी, डाइसीमेफ टैबलेट, रेबिप्राजोल सोडियम कैप्सूल, एम्लोडिपाइन एंड एटेनॉलोल टैबलेट, रेबजोल-75 कैप्सूल, रेसिड डीएसआर कैप्सूल, रेबिप्रिन कैप्सूल, लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, लिवोजी टैबलेट, सी सेफ एजेड टैबलेट, प्रीसेफ-200 एलबी टैबलेट, डोक्सिम-200 डीटी टैबलेट शामिल हैं। दवा निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि जिन मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री का रिकार्ड व विक्रेता रसीद नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य दवाओं के सैंपल फेल के मामले में भी कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

RISO FOOD & NUTRACEUTICALS
Manufacturers of
Quality Nutraceutical & Ayurvedic Products
Wide range of Syrups, Tablets, Capsules, Sachets, Energy Powders, Oils, Protein Powders and Effervescent Tablets Available
For Manufacturing Related Queries
Call 99960 20790
All types of
Third party Manufacturing Enquiries
Own Brand Manufacturing Enquires
Bulk Manufacturing Enquires
Welcome
RISO FOOD & NUTRACEUTICALS
(A Unit of Kim Laboratories Pvt. Ltd.)
Plot No. 28, HSIIDC Phase 1, Saha, Ambala 133 104 (Haryana), India
www.risonutraceuticals.com

भारत 2026 में मधुमेह और मोटापे की दवा निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है

बेंगलुरु: भारत 2026 में मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जीएलपी-1 दवाओं के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है, एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा। जीएलपी-1 दवाएं, जिन्हें मूल रूप से मधुमेह के इलाज के लिए मंजूरी दी गई थी, मोटापे के इलाज के लिए भी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही हैं क्योंकि वे पाचन को धीमा करती हैं, जिससे रोगियों को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का सेमाग्लूटाइड पर पेटेंट-एक जीएलपी-1 एगोनिस्ट और इसकी बेहद लोकप्रिय मोटापे की दवा वेगोवी और मधुमेह की दवा ओजेम्पिक में प्रमुख घटक-2026 में भारत में समाप्त होने वाला है। फार्मास्युटिकल्स विभाग के सचिव अरुणिश चावला ने रॉयटर्स को बताया, जीएलपी-1 दवाओं का निर्माण करने वाली (योजना बनाने वाली) (भारतीय) कंपनियों ने सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन किया है। चावला ने इन कंपनियों के नाम बताए बिना कहा, पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद 2026 में जब वे उत्पादन शुरू करेंगे, तो हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे। दुनिया भर के दवा निर्माता वजन घटाने वाली दवाओं के बाजार का एक हिस्सा हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके दशक के अंत तक कम से कम 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में मोटापे की दर बहुत अधिक है, खासकर महिलाओं में, और टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन एटलस के अनुसार, 2035 तक लगभग 11% भारतीय वयस्क मोटे हो जाएंगे।

एफडीए इंस्पेक्टर और मेडिकल शॉप मालिक ₹1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

मुंबई: पालघर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की एक महिला औषधि निरीक्षक आरती कांबली और नालासोपारा के एक मेडिकल दुकान के मालिक कृष्णकुमार तिवारी को शिकायतकर्ता, एक मेडिकल स्टोर के मालिक से 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब तिवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए तो उन्होंने कांबली का नाम लिया। पालघर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मोरेगांव, नालासोपारा (पूर्व) में तिवारी के दुर्गा मेडिकल स्टोर के बाहर जाल बिछाया, जहां शिकायतकर्ता को नकदी पहुंचाने के लिए कहा गया।

तिवारी को रंगे हाथो पकड़ा : 14 जून को कांबली नालासोपारा में 32 वर्षीय शिकायतकर्ता के मेडिकल स्टोर पर गए थे। कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत क्लोजर नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी दुकान बंद कर दी, जिसके बाद तिवारी ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि अगर वह 1 लाख रुपये का भुगतान करेंगे तो कांबली उन्हें दुकान फिर से खोलने की अनुमति देंगे। शिकायतकर्ता ने 21 जून को एसीबी से संपर्क किया। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला कि तिवारी कांबली की ओर से पैसे इकट्ठा करने वाले एजेंट थे।

ईसाई और बायोजेन ने अल्जाइमर की दवा लेकेम्बी लॉन्च की

लंदन: ईसाई और बायोजेन ने कहा कि उन्होंने चीन में अल्जाइमर के इलाज के लिए अपनी दवा लेकेम्बी लॉन्च की है। चीन अमेरिका और जापान के बाद तीसरा देश है। लेकेम्बी, जो मस्तिष्क से बीटा एमिलॉयड नामक विषैले प्रोटीन को हटाकर काम करता है, अल्जाइमर के इलाज का पहला ऐसा तरीका है जो घातक, मस्तिष्क को बर्बाद करने वाली बीमारी के पाठ्यक्रम को बदलने में कारगर साबित हुआ है। कंपनियों ने एक बयान में कहा कि दवा को सबसे पहले निजी बाजार में 200 मिलीग्राम की शीशी के लिए 2,508 युआन (+345.04) में लॉन्च किया जाएगा। कंपनियों ने बीमाकर्ता का नाम बताए बिना कहा कि ईसाई ने दवा की लागत के आंशिक कवरेज की योजना बनाने के लिए एक प्रमुख चीनी चिकित्सा बीमा फर्म के साथ भी सहयोग किया है।

स्वास्थ्य विभाग की रेड, अवैध हॉस्पिटल को किया सीज

कुशीनगर: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। यह छापेमारी एक महिला की मौत होने की शिकायत मिलने पर डिप्टी सीएमओ कुशीनगर की टीम ने प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ खड्डा स्थित नारायण हॉस्पिटल पर की। अस्पताल में भर्ती मरीज को सीएचसी तुर्कहा भिजवाकर अस्पताल को सीज कर दिया तथा इस दौरान संचालक फरार हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहां में सोनी नामक 28 वर्षीय महिला भर्ती थी। उसे चिकित्सक ने अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वहां से रेफर कर दिया। इसी बीच, नारायण हॉस्पिटल के संचालक के दलालों ने उसे बहला-फुसलाकर नारायण हॉस्पिटल खड्डा पर भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर सहित आइजीआरएस मुख्यमंत्री को की। सरकार के आदेश पर सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ एवं नोडल पंजीयन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार गुप्ता को नारायण हॉस्पिटल की जांच के लिए भेजा। डिप्टी सीएमओ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएन गुप्ता को साथ लेकर अस्पताल पर छापा मारा। बताया गया कि अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया।

36% दवा निर्माण इकाइयों को करना पड़ा बंद

बेंगलुरु: भारत में पिछले साल से निरीक्षण की गई 400 दवा निर्माण इकाइयों में से 36 प्रतिशत से अधिक को बंद करने का आदेश दिया गया है, देश के दवा नियामक ने गुरुवार को कहा, घटिया कफ सिरप से जुड़ी मौतों के बाद जांच में वृद्धि हुई है। देश, जिसे अपने द्वारा उत्पादित दवाओं की मात्रा के कारण दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौतों से भारत में निर्मित कफ सिरप जुड़े होने के बाद विश्वास बहाल करने के लिए काम कर रहा है। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के प्रमुख राजीव रघुवंशी ने कहा कि डेढ़ साल के निरीक्षण के बाद, उन्हें यह कहते हुए बहुत खुशी नहीं हो रही है कि उनमें से 36 प्रतिशत से अधिक (निर्माण इकाइयाँ) बंद होनी पड़ीं। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय फार्मा उद्योग में समस्याएं गैर-अनुपालन से संबंधित हैं, जिसके कारण गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने किसी कंपनी का नाम या विस्तृत विवरण नहीं दिया। भारत और इंडोनेशिया में बने कफ सिरप को दुनिया भर में 300 से अधिक बच्चों की मौत का कारण माना गया है। इन दवाओं में दो ज्ञात विषाक्त पदार्थों, डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का उच्च स्तर पाया गया, जिससे किडनी में गंभीर चोट और मृत्यु हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है।

फार्मासिस्ट ने कर डाला ऑपरेशन, महिला की बिगड़ी तबीयत तो मेडिकल स्टोर किया सील

अंबिकापुर: फार्मासिस्ट द्वारा एक महिला का बवासीर का आपरेशन करने का मामला प्रकाश में आया है। आपरेशन के बाद महिला मरीज की तबीयत बिगड़ गई। शिकायत मिलने पर प्रशासनिक टीम ने आरोपी फार्मासिस्ट का मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंडरी की 52 वर्षीय महिला बवासीर से पीड़ित थी।

उसने गांव के ही दवा दुकानदार से दवा ली थी। आरोप है कि मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट ने महिला को झांसे में लेकर बवासीर ठीक करने का दावा किया और उसकी सर्जरी कर दी। बतौर शुल्क महिला से 23 हजार रुपये भी ले लिए। सर्जरी के बाद महिला की स्थिति काफी बिगडने लगी। उसकी गंभीर हालत को देख परिजन उसे अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में ले गए। यहां उसकी फिर से सर्जरी की गई। बताया गया कि बिना किसी योग्यता के दवा दुकान संच. ालक द्वारा सर्जरी करने के कारण महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। अब उसकी हालत में थोड़ा सुधार है। पीड़िता के स्वजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। पुलिस, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दवा दुकान पर दबिश दी और मामला सही मिलने पर दवा दुकान को सील कर दिया है। मौके पर मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद नहीं मिला। इस कारण दवा दुकान के लाइसेंस और उपचार करने की वैधता को अीाी जांचा नहीं जा सका है।

सन फार्मा ने भारत में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवा पेश करने के लिए टेकेडा के साथ समझौता किया

नई दिल्ली: सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसने भारत में एक नई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवा के व्यावसायीकरण के लिए टेकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है। मुंबई स्थित दवा कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने भारत में 10 और 20 मिलीग्राम की ताकत में वोनोप्राजन टैबलेट के व्यावसायीकरण के लिए टेकेडा के साथ एक गैर-अनन्य पेटेंट लाइसेंसिंग समझौता किया है। वोनोप्राजन एक नया, मौखिक रूप से सक्रिय पोटेशियम प्रतिस्पर्धी एसिड अवरोधक (पीसीएबी) है, जिसका उपयोग रिफ्लक्स एसोफैगिटिस और अन्य एसिड पेप्टिक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। सन फार्मा के सीईओ-इंडिया बिजनेस कीर्ति गनोरकर ने कहा, सन फार्मा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अग्रणी है और हम टेकेडा से गैर-अनन्य पेटेंट लाइसेंस के तहत भारत में वोनोप्राजन को पेश करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी रोगियों और स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों को रिफ्लक्स एसोफैगिटिस और अन्य एसिड पेप्टिक विकारों के प्रबंधन के लिए एक नया उपचार विकल्प प्रदान करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (जीईआरडी) भारत में आम है। यह दवा भारत में वयस्कों में रिफ्लक्स एसोफैगिटिस और अन्य एसिड पेप्टिक विकारों के उपचार के लिए स्वीकृत है।

प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज की मौत

नियामताबाद, चंदौली (उप्र): प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज की मौत होने पर उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर महिला का शव रखकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में ऑपरेशन में लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई। हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत कराया। फगुइया बसारिकपुर निवासी मोहन प्रसाद की पत्नी सावित्री देवी (57) की तबीयत खराब होने पर उसे पचफेडवा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नाक स्प्रे को मिली मंजूरी

लंदन: प्राप्त समाचार के अनुसार एआरएस फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि यूरोपीय दवा एजेंसी (ईएमए) ने एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए अपने सुई-रहित आपातकालीन उपचार, यूरेनफी को मंजूरी देने की सिफारिश की है। नाक स्प्रे यूरेनफी को एपिपेन और अन्य ऑटोइंजेक्टर के विकल्प के रूप में देखा जाता है जो एपिनेफ्रीन से भरे होते हैं, जो एनाफिलैक्सिस और अन्य एलर्जी प्रतिक्रियाओं के जोखिम वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक जीवन रक्षक दवा है। पिछले साल अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्प्रे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, यह निर्णय उसके सलाहकार पैनल की सिफारिश के विपरीत था, क्योंकि एजेंसी ने प्रतिद्वंद्वी इंजेक्शन उत्पाद बनाम उपचार के दोहराए गए खुराक अध्ययन की मांग की थी। फरवरी में कंपनी ने कहा कि दवा की बार-बार खुराक लेने पर फार्माकोकाइनेटिक और फार्मोडायनामिक प्रोफाइल एपिनेफ्रिन इंजेक्शन से ज्यादा या उसके समान दिखाई देती है। फार्माकोकाइनेटिक्स एक माप है कि शरीर दवा के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और फार्माकोडायनामिक्स शरीर पर दवा का प्रभाव है। FDA फिर से नेजल स्प्रे की समीक्षा करेगा और 2 अक्टूबर तक इसकी मंजूरी पर फैसला करने की उम्मीद है। विलियम ब्लेयर के विश्लेषक टिम लूगो ने कहा कि EU की सिफारिश FDA की मंजूरी के लिए अच्छी है। मरीज वकालत करने वाले समूह EU मंजूरी का इस्तेमाल FDA पर दबाव डालने के लिए करेंगे कि वह फैसला लेने की तारीख से पहले नेजल स्प्रे को मंजूरी दे।

ऑर्किड फार्मा ने भारत भर में नए एंटीबायोटिक्स के वितरण के लिए सिप्ला के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार ऑर्किड फार्मा लिमिटेड ने कहा कि उसने भारत में अपनी नई एंटीबायोटिक सेफेपाइम-एनमेटाजोबैक्टम के लॉन्च और वितरण के लिए सिप्ला के साथ साझेदारी की है। ऑर्किड फार्मा ने एक बयान में कहा कि कंपनी की नई दवा-सेफेपाइम-एनमेटाजोबैक्टम-को जटिल मूत्र पथ के संक्रमण (सीयूटीआई), अस्पताल में होने वाले निमोनिया (एचएपी) और वेंटिलेटर से जुड़े निमोनिया (वीएपी) के लक्षणों के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। यह साझेदारी ऑर्किड की अभिनव दवा विकास क्षमताओं को सिप्ला के व्यापक वितरण नेटवर्क और बाजार में मौजूदगी के साथ जोड़ती है। कंपनी ने कहा कि इस सहयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह जीवन रक्षक दवा भारत भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक जल्दी और कुशलता से पहुंचे। ऑर्किड फार्मा के प्रबंध निदेशक मनीष धानुका ने कहा कि इन संकेतों के उपचार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मौजूदा दवाओं जैसे कि सीयूटीआई के लिए पाइपरसिलिन-टैजोबैक्टम के प्रति बढ़ते प्रतिरोध के कारण डॉक्टरों को कार्बापेनेम्स का उपयोग शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा-एक आरक्षित दवा जिसका उपयोग तब किया जाता है जब अधिकांश अन्य दवाएं काम नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, अब, ऑर्किड के सेफेपाइम-एनमेटाजोबैक्टम से डॉक्टरों को कार्बापेनेम्स को छोड़ने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनके उपयोग को सीमित करके उनके प्रभावी जीवन को बढ़ाया जा सकेगा।

ALWAISWIN Pharma India Pvt Ltd
Deals In:- Herbal, Food, Neutraceuticals Syrup, Injectables, Softgel
Our Company registered Products:
Almonx 500 | Orthogard- BP | Alrabe-DSR | Nerviwin-M
Almonx Cv625 | Orthogard- NP | Alvit-Grow 16G | Nerviwin150
Almonx LB | Orthogard- MR | Alvit- Active12G | Nerviwin GB
Almonx 250 | Orthogard Gel | Alvicof-dx | Nerviwin 300
Call Us:-9815003544,7784849000
Franchise Available For Vacant States
Attractive Packings | Third Party Enquiry Also Welcome | Best Quality Products
Head Office:-18-f-Big B Complex Rotary Chowk Baddi (H.P)
G.Mail:- alwaiswinpharma@gmail.com
Our web:-alwaiswinpharma.com

BW
Beingwell Healthcare
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY)
Your enquires are Welcome for Franchisee/PCD & Distribution Monopoly Bussiness for Unrepresented Area.
All OVER INDIA
Tablet | Capsules | Ointment | Injection
Soft Gel Cap. | Syrup | Ayurvedic | Sachet
LATEST & NEW DCGI MOLECULES
Parties looking for entire state URGENTLY CALL 9816702610 7508899990
Full Promotional Support -
• Attractive Pramotional Corporate
• Gifts
• Visual Aids
• Order Book
• Reminder Card
• Catch Covers
• MR Bags
Third party manufacturing proposals invited
Call for more Details
SCO : 485, 2nd, Floor, M. Market, Manimajra, Chandigarh-160101
Contact: 172-5024875, 7508899900, 9816702610
Email : beingwell2015@gmail.com
Website : www.beingwellhealthcare.co.in

दादासीबा अस्पताल को 100 बिस्तरों की सुविधा में अपग्रेड किया जाएगा: सीएम सुखू

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सिविल अस्पताल डाडासीबा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में अस्पताल को 50 बिस्तरों की क्षमता वाला बनाया जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण में इसे 100 बिस्तरों वाला बनाया जाएगा। जसवां क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अस्पताल के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी कमियों को दूर किया जाएगा। सुखू ने कहा, निर्माण का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, शेष काम पूरा करने के लिए 3.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल में स्त्री रोग, हड्डी रोग, सर्जरी और एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ लैब तकनीशियन भी तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दादासीबा अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में तब्दील करेगी, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार के लिए उप-मंडल स्तर के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। सुखू ने पिछले पांच वर्षों में अस्पताल के निर्माण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की और काम में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुखू ने कहा, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 200 मेडिकल ऑफिसर पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों में कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में आठ आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी पद और चंबा मेडिकल कॉलेज में पांच सहायक प्रोफेसर पद सृजित करना शामिल है, जिससे इन संस्थानों में कार्यात्मक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना में सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सिविल अस्पताल डाडासीबा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

TORIOX LABORATORIES
Manufacturers of Quality Nutraceutical & Ayurvedic Products
Wide range of Syrups, Tablets, Capsules, Sachets, Energy Powders, Oils, Protein Powders and Effervescent Tablets Available
For Manufacturing Related Queries
Call 99916 53003
All types of
Third party Manufacturing Enquiries
Own Brand Manufacturing Enquires
Bulk Manufacturing Enquires
Welcome
TORIOX LABORATORIES
Plot No. 52, HSIIDC Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana-134117
E-mail: info@torioxlaboratories.com
www.torioxlaboratories.com

हिमाचल: टांडा मेडिकल कॉलेज में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू

कांगड़ा: प्राप्त समाचार के अनुसार राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्वास्थ्य सुविधाओं में नए आयाम स्थापित कर रहा है और हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क उपचार प्रदान करेगा , जिससे सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के अध्यक्ष आरएस बाली ने घोषणा की। मेडिकल लाइब्रेरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आरएस बाली ने घोषणा की कि टांडा में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ने अपना पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक करके स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है , उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक नया अध्याय है। टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की समर्पित टीम द्वारा सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे स्थानीय रोगियों को काफी लाभ हुआ, जिन्हें अब ऐसी प्रक्रियाओं के लिए पीजीआई या एम्स जाने की आवश्यकता नहीं है। हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत यह उपचार नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा, जिससे सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी। आरएस बाली ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के अथक प्रयासों की प्रशंसा की, जिनकी निरंतर प्रतिक्रिया और समर्थन इस मील के पत्थर को साकार करने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने पीजीआई के डॉक्टरों को उनके अमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार भी व्यक्त किया। किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा के अलावा, मेडिकल कॉलेज पहले से ही हार्ट पियर्सिंग और वाल्व ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान करता है, जो एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। अगले लक्ष्यों में ओपन-हार्ट सर्जरी और अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर शुरू करना शामिल है, जो उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में अपग्रेड किया गया है, और स्तनपान कराने वाली माताओं और शिशुओं का समर्थन करने के लिए एक लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्वास्थ्य सुविधाओं में नए आयाम स्थापित कर रहा है और हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क उपचार प्रदान करेगा।

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पहली बार शव से किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया

गुवाहाटी: गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) ने अपना पहला कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने कहा कि, ब्रेन डेड मरीज के परिवार के सदस्यों द्वारा ब्रेन डेड मरीज की दो किडनी दान करने के बाद, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने दो अन्य मरीजों को सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया। हम ब्रेन डेड मरीज के परिवार के सदस्यों के बहुत आभारी हैं। जीएमसीएच के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने यहां सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया और यह गुवाहाटी के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत में पहला है। किडनी दो अन्य मरीजों को ट्रांसप्लांट की गईं। अगर हम ब्रेन डेड मरीजों की किडनी दान करने की संस्कृति शुरू करते हैं तो इससे कई लोगों की जान बच जाएगी, सीएम सरमा ने कहा। उन्होंने आगे कहा, हम गुवाहाटी में लीवर ट्रांसप्लांट करने की भी कोशिश करेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीएमसीएच के डॉक्टरों ने आईवीएफ के जरिए एक बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दिया। जीएमसीएच के डॉक्टरों ने 36 भ्रूणों को प्रत्यारोपित किया और 8 महिलाएं गर्भवती थीं और एक सिजेरियन जन्म हुआ। जीएमसीएच में आईवीएफ की लागत लगभग 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये है। जीएमसीएच में 28 बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किए गए। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) ने अपना पहला कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अवैध क्लीनिक पर रेड, दवाइयां जब्त

भोपाल: अवैध क्लीनिक पर छापेमारी की दो लाख रुपये कीमत की दवाइयां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई शहर के करोंद क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे क्लीनिक पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने की। टीम ने अवैध रूप से संचालित इंडिया डे केयर नामक क्लीनिक से 170 प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां जब्त की हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दवाओं की अवैध रूप से बिक्री की शिकायत मिली थी। इस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक मयंक अग्रवाल के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक केएल अग्रवाल और सीएमएचओ कार्यालय से डा. मनोज हुरमाने की संयुक्त टीम तैयार की गई। टीम ने करोंद स्थित मुरली नगर गली नंबर पांच में संचालित इंडिया डे केयर क्लिनिक पर छापेमारी की।

अस्पताल, क्लीनिक व सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन कैंसिल

जयपुर: अस्पताल व सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। यह निर्णय निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए जाने के कारण लिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में एआरटी एवं सरोगेसी की स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न एआरटी बैंक-क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिकों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में निर्णय लिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 5 एआरटी क्लीनिक निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए जाने के कारण इनका रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किए गए। वहीं, 2 एआरटी बैंक, 3 एआरटी लेवल-प्रथम, 2 एआरटी लेवल-द्वितीय को भौतिक निरीक्षण के बाद जांच कमेटी द्वारा उचित पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि एआरटी बैंक एवं सरोगेसी क्लिनिकों पर कार्यरत स्टाफ के कार्य छोड़ने, हटाने एवं नए नियुक्त किए जाने के संबंध में एक एडवाजरी जारी की जाएगी। बताया गया है कि प्रदेश में संचालित 28 एआरटी बैंक, 27 एआरटी क्लीनिक लेवल-प्रथम, 22 एआरटी लेवल-द्वितीय एवं 10 सरोगेसी क्लीनिक को निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज ऑथोरिटी के समक्ष जमा नहीं करवाने के कारण इनका आवेदन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ईएचसीसी अस्पताल में संचालित रिसा आईवीएफ केन्द्र का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्णय भी लिया गया है। रिसा आईवीएफ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संयुक्त शासन सचिव प्रीति माथुर, निदेशक परिवार कल्याण डॉ. सुनीत राणावत, अतिरिक्त निदेशक परिवार कल्याण डॉ. के.पी. शर्मा एवं उप शासन सचिव अजय शर्मा उपस्थित रहे।

खेतान हॉस्पिटल में किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन

जयपुर: सीकर रोड स्थित खेतान हार्ट एंड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल,जयपुर के चेयरमैन 40 वर्ष से जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने वाले डॉ आर पी खेतान के जन्मदिवस पर स्वेच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संयोजक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ दिविज खेतान ने बताया कि शिविर में कुल 81 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ मुख्य अतिथि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हवामहल विधायक श्री बालमुकुन्दाचार्य हाल ही में मानवाधिकार आयोग के बने।

आर्मी अस्पताल (आर एंड आर) में ऑन्कोलॉजी, नेत्र विज्ञान, ऑर्थोपेडिक्स और संयुक्त प्रतिस्थापन केंद्र खोले जाएंगे

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार अत्याधुनिक आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) ने अपने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विस्तार के लिए काम शुरू कर दिया है। अगले एक से दो साल में यहां इसके विशाल परिसर में ऑन्कोलॉजी, नेत्र विज्ञान और ऑर्थोपेडिक तथा जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तीन नए चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे। आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन ने एएचआरआर परिसर में मीडियाकर्मियों के एक समूह से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि 1200 बिस्तरों वाला यह अस्पताल एक क्वाटरनेरी सुविधा है और इसमें मुख्य रूप से तृतीयक या समान स्तर के अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों को उपचार होता है। दिल्ली में 256 एकड़ में फैले अपने परिसर के साथ, यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) का शीर्ष चिकित्सा संस्थान है। कोई भी अस्पताल अपडेट नहीं हो सकता और प्रासंगिक नहीं रह सकता, जब तक कि वह विस्तार न करे और प्रौद्योगिकी और सुविधाओं में नवीनतम प्रगति के साथ संपर्क में न रहे। इसलिए हमने हाल ही में सभी नवीनतम सुविधाओं के साथ एक पूर्ण ऑन्कोलॉजी (कैंसर) केंद्र का निर्माण शुरू किया है, एक नेत्र विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है और एक आर्थोपेडिक और संयुक्त प्रतिस्थापन केंद्र भी बनाया जा रहा है, AHRR कमांडेंट ने कहा।

हमें उम्मीद है कि आने वाले एक से दो वर्षों में ये बनकर तैयार हो जाएगे, उन्होंने कहा। एक बार पूरा हो जाने पर तीन नए केंद्र अस्पताल द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ावा देंगे, जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध से यहां अपने वर्तमान परिसर में स्थित है। एएचआरआर ने हाल ही में एक त्वचा बैंक सुविधा खोलने की घोषणा की थी, जो एएफएमएस के भीतर स्थापित की जाने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग में स्थित त्वचा बैंक का औपचारिक उद्घाटन 18 जून को डीजीएमएस (सेना) लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी ने किया था, लेकिन इसे पहला त्वचा दान 29 मई को प्राप्त हुआ था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह दानकर्ता महिला एक सैन्यकर्मी की मां थी और एएचआरआर में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह त्वचा बैंक AFMS में पहला है। वास्तव में देश में बहुत कम केंद्र हैं जहां त्वचा बैंक है। मूल रूप से, यह गंभीर रूप से जलने के लिए है। त्वचा को बदलना पड़ता है, अन्यथा संक्रमण घातक साबित हो सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल नीलकांतन ने कहा। उजागर क्षेत्र को ढंकना बहुत महत्वपूर्ण है और कभी-कभी एक ही रोगी के पास पर्याप्त त्वचा उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, हमें किसी और से त्वचा लेनी पड़ सकती है और इसे शुरुआती अवधि के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है जब तक कि मूल त्वचा वापस न आ जाए। हमारे अंग दान प्रणाली के हिस्से के रूप में, हमारे पास एक सशस्त्र बल अंग पुनर्प्राप्ति प्रणाली है, इसे AORTA (सेना अंग पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण प्राधिकरण) कहा जाता है, और विभिन्न अंग दान आयोजित किए जाते हैं, और यह नवीनतम है जहां त्वचा दान भी हमारे हिस्से का हिस्सा है और, यह एक लाइसेंस प्राप्त त्वचा बैंक है, उन्होंने कहा। AHRR कमांडेंट ने कहा कि उम्मीद है कि इस त्वचा बैंक के साथ गंभीर रूप से जलने की चोटों के उपचार को बढ़ाया जाएगा। यह बैंक त्वचा प्रत्यारोपण के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में काम करेगा, जो देश भर के सैन्य चिकित्सा केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा। इस सुविधा की स्थापना करके, सशस्त्र बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कर्मियों और उनके परिवारों को सबसे उन्नत त्वचा प्रतिस्थापन चिकित्सा तक पहुंच प्राप्त हो। बाद में, आने वाले मीडियाकर्मियों को इसके कुछ प्रमुख विभागों का दौरा भी कराया गया, जिनमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण जैसे कि नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए एक उच्च तकनीक वाला सिम्युलेटर है।

BEN PHARMACEUTICALS
An ISO9001:2015 & GMP/GLP Certified Company
A COMPANY WITH ITS MANUFACTURING UNITS AS PER SCHEDULE " M" & GMP GUIDELINES ENGAGED IN MANUFACTURING & PROMOTION OF PHARMA PRODUCTS FOR THE LAST 36 YEARS.
Third Party Manufacturing & PCD/Franchise
INNOVATION ON THE FOLLOWING SEGMENTS
Caring For Generation Next
EXCELLENCE IN HEALTH CARE
WORLD CLASS PRODUCTS EXCLUSIVE & LATEST MOLECULES WITH INTERNATIONAL PACKING
WIDE RANGE OF PRODUCTS IN TABLETS, CAPSULES, LIQUIDS, INJECTIONS SACHET, DRY SYRUP OINTMENT, DERMA SOAPS, LOTION & IV FLUIDS
WE CALL FOR FRANCHISEES MARKETING PHARMA EXPORTS, AREA MANAGERS ETC. WITH FINACIALLY SOUND BACKGROUND MAY APPLY
in Case of any enq please cont: 8689000358
36 YEARS
Unit-1:
BEN PHARMACEUTICALS
(An ISO 9001:2015& GMP/GLP Certified Company)
Kuldeep Nagar, Nanhera Road.
Ambala Cantt.133004 (Haryana)
Mob: 8689000357 8689000358, 8689000359
Email: purchasebenpharma@gmail.com
Corporate Office:
BEN* MED PHARMA PVT LTD.
(A unit of Specure Med Pvt Ltd.)
(An ISO 9001:2015& GMP/GLP Certified Company)
G.T. Road Motor Market, Ambala City-134003.
Mob:9813823456, Email: benpharma121@gmail.com
www.benpharmaceutical.in www.benpharma.in

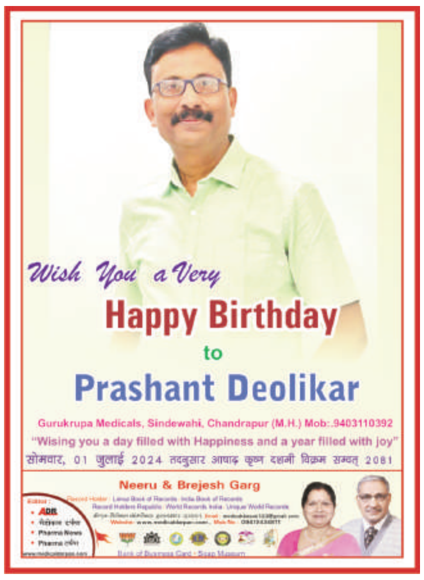

मुजफ्फरनगर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (रजि०) के संगठन की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार

मुजफ्फरनगर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन(रजि०) ने अपनी छमाही बैठक का आयोजन मारवाड़ी भोज होटल के प्रांगण में कार्यशाला आयोजित कर संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार किया, कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा दवा व्यापार में आ रहे नए नियमों और जीएसटी में आ रही कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की, कार्यक्रम का संचालन संगठन मंत्री सचिन त्यागी के द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान के द्वारा की गई, सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा अपने संगठन की मोतियों की माला में जिला परिषद प्रांगण से वरिष्ठ दवा व्यापारी सुधीर मटोजा (आशु फार्मास्यूटिकल) एवं सार्थक मटोजा (नौब लैंब)और सिद्धार्थ एवं राघव शर्मा को फूल माला पहनकर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर संगठन में उनका स्वागत कर सभी को सदस्यता ग्रहण कराई एवं सुधीर मटोजा को सर्वसम्मति से जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक चेयरमैन प्रमोद मित्तल ने कहा सुधीर मटोजा के जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर आने से जिला परिषद दवा बाजार एवं व्यापार में मुजफ्फरनगर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को मजबूती मिलेगी, चेयरमैन सतपाल ने कहा आशु फार्मास्यूटिकल पुरानी फर्म के साथ साथ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और में उनका संगठन में हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, संरक्षक डॉ०आर०के० गुप्ता ने सभी दवा व्यापारियों से अनुरोध किया कि औषधि को बिल से खरीदे बिल से बेचे, कार्यक्रम में कार्यकारी महामंत्री दिव्य प्रताप सोलंकी, कोषाध्यक्ष सतीश तायल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश सोम, उपाध्यक्ष सुजीत शर्मा (बिट्टू), पंकज तनेजा,रविंद्र छाबड़ा,नरेंद्र सैनी, मुकेश शर्मा, संदीप चौहान, विशाल भार्गव, राजीव चौधरी, हरीश गुप्ता, रूपांकर गुप्ता, सुधीर यादव आदि पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

RS RADIANT SURGICAL
Orthopedic Surgical Products
78, 3rd Floor, Dawa Bazar, 13-14, R.N.T. Marg, Indore-452 001 (M.P.)
Mob.: 89829 77802, 998 107 7802, Email : radiantsurgical96@gmail.com

RADIANT SURGICAL
Orthopedic Surgical Products
78, 3rd Floor, Dawa Bazar, 13-14, R.N.T. Marg, Indore-452 001 (M.P.)
Mob.: 89829 77802, 998 107 7802, Email : radiantsurgical96@gmail.com

एचआईवी/एड्स की दवाओं का ब्रेन ट्यूमर के मरीजों पर परीक्षण

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार एचआईवी/एड्स की दवाओं का ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित मरीजों के ऊपर परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल, ब्रेन ट्यूमर रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस परीक्षण के जरिए यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एंटी-रेट्रोवायरल रिटोनावीर और लोपिनवीर जैसी दवाओं का इस्तेमाल न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस 2 के रोगियों के लिए किया जा सकता है।

ब्रिटेन स्थित प्लायमाउथ विश्वविद्यालय ने बताया कि एचआईवी (मानव इम्यूनोडिफिसिअन्सी वायरस) और एड्स (अधिग्रहित इम्यूनोडिफीसिअन्सी सिंड्रोम) से निपटने के लिए विकसित दवाओं का पहली बार मस्तिष्क ट्यूमर वाले कई मरीजों पर परीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन्हेरीटेड जेनेटिक कंडीशन के कारण श्वानगोमा (जिसमें ध्वनिक न्यूरोमा शामिल है) ईपेंडीमोमा और मेनिंगिओमा जैसे ट्यूमर उत्पन्न होते हैं। यह मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्ली पर विकसित होते हैं। परीक्षण का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर ओलिवर हैनिमैन का कहना है कि जेनेटिक रोगियों के लिए यह एनएफ2 से संबंधित ट्यूमर के लिए प्रणालीगत उपचार की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसमें कई ट्यूमर विकसित हो जाते हैं। उन रोगियों के लिए भी जिनमें एक बार एनएफ2 म्यूटेशन हुआ और परिणामस्वरूप इनमें ट्यूमर विकसित हो गया है। प्रो. हैनिमैन ने कहा कि यदि शोध सफल हो जाता है और परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो यह उन स्थिति वाले रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिनके लिए अब तक कोई प्रभावी इलाज नहीं है। एक साल तक चलने वाले इस परीक्षण के दौरान मरीजों को दोनों दवाओं के साथ 30 दिनों के उपचार से पहले ट्यूमर बायोप्सी और रक्त परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें एक और बायोप्सी और रक्त परीक्षण से गुजरना होगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि दवा का संयोजन ट्यूमर कोशिकाओं में प्रवेश करने में कामयाब रहा या नहीं। उसका कोई प्रभाव रोग पर पड़ा है या नहीं।

एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए जल्द ही नियम बनाए जाएंगे

नई दिल्ली: एक्सपायर हो चुकी दवाओं को घर के कूड़ेदान में फेंकना उनसे छुटकारा पाने का आदर्श तरीका नहीं है। देश का ड्रग कंट्रोलर एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर काम कर रहा है, जिसमें अप्रयुक्त और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का विवरण दिया गया है। घटनाक्रम से अवगत एक सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक्सपायर/अप्रयुक्त दवाओं/दवाओं के सुरक्षित और उचित निपटान की आवश्यकता महसूस की गई। यह दस्तावेज पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसमें एक्सपायर और अप्रयुक्त दवाओं के निपटान, संग्रह, भंडारण और परिवहन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

अधिकारियों ने कहा कि लेबल पर उल्लिखित समाप्ति तिथि को पार कर चुकी या जिस व्यक्ति के लिए उन्हें निर्धारित और खरीदा गया था, उसके द्वारा उपयोग नहीं की गई दवाओं का अनुचित निपटान सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। औषधि नियमों के तहत हाल ही में अधिसूचित अनुसूची एम ने निपटान की प्रतीक्षा कर रहे अपशिष्ट पदार्थों के उचित और सुरक्षित भंडारण के लिए निर्माताओं के लिए आवश्यकताएं निर्धारित की हैं। ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि निर्माणाधीन मार्गदर्शन दस्तावेज समाप्त हो चुकी/अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित और उचित निपटान के लिए अपनाई जा सकने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज तैयार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को शोधकर्ताओं से एक पत्र मिला था, जिसमें नई दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल चक्र में सक्रिय दवा यौगिकों (APC) के जोखिम की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से किए गए अध्ययन के बारे में एक लेख का उल्लेख किया गया था। अध्ययन में अप्रयुक्त और एक्सपायर हो चुके दवा यौगिकों को लैंडफिल में फेंकने के कारण पारिस्थितिक जोखिम की भूमिका बताई गई थी और संकेत दिया गया था कि गैर-अलग-अलग दवा का निपटान एंटीबायोटिक दवाओं के विशेष संदर्भ में दवा प्रतिरोध के उभरने का एक कारण हो सकता है। इन दवाओं के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए चर्चाएँ लंबे समय से चल रही हैं। दिशा-निर्देश दस्तावेजों में लैंडफिल में एक्सपायर/अप्रयुक्त दवाओं के निपटान के तरीके बताए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसमें एंटीनियोप्लास्टिक दवाओं को डंप करने के तरीके भी बताए जाएंगे।

ग्लेनमार्क फार्मा को यूएसएफडीए से दवा की मिली मंजूरी

नई दिल्ली: ग्लेनमार्क फार्मा को यूएसएफडीए से दवा की मंजूरी मिल गई है। कंपनी को यह मंजूरी एसोमेप्राजोल मैग्नीशियम डिलेड रिलीज के लिए मिली है। गौरतलब है कि इस दवा का इस्तेमाल चुनिंदा पेट और आहार नली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसमें एसिड रिफ्लक्स और अल्सर जैसी बीमारियां शामिल हैं। दवा के इस्तेमाल से पेट में एसिड की मात्रा में कमी आती है। इसके इस्तेमाल से हर्टबर्न और किसी चीज को खाने में आ रही दिक्कत में कमी आती है। यह दवा 20 मिलीग्राम क्षमता में उपलब्ध है।

दवा की सालाना बिक्री 25.9 करोड़ डॉलर रही : बता दें कि अमेरिका में इस दवा का वितरण ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंक करेगी। पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका में इस दवा की सालाना बिक्री 25.9 करोड़ डॉलर रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल 197 प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा 50 दवाओं की अर्जी यूएसएफडीए के पास लंबित हैं। ग्लेनमार्क फार्मा को यूएसएफडीए से दवा की मंजूरी मिल गई है।

नकली दवा निर्माताओं पर नकेल कसेगी तेलंगाना सरकार

हैदराबाद: प्राप्त समाचार के अनुसार नकली दवा निर्माताओं पर जल्द ही नकेल कसी जाने वाली है। इसके लिए तेलंगाना ने सख्त कदम उठाए हैं।

17 ड्रग इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने बताया कि सरकार ने नकली दवा निर्माताओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने 17 ड्रग इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिनमें से पांच को जोन 1 और 12 को जोन 2 में नियुक्त किया गया। इनका चयन तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर किया गया।

विभाग को मजबूत बनाने के लिए काम करें ड्रग इंस्पेक्टर : 17 ड्रग इंस्पेक्टरों को विभाग को मजबूत बनाने के लिए काम करने का निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजनरसिम्हा ने कहा कि नकली दवाओं को रोकने के लिए निरंतर निगरानी के लिए नए ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई है। मंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को समाज के लाभ के लिए नौकरी के कर्तव्यों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में राज्य परिवार कल्याण आयुक्त, औषधि नियंत्रण प्रशासन, महानिदेशक (प्रभारी) आरवी कर्णन और संयुक्त निदेशक राम दान आदि शामिल रहे।

औषधि विभाग ने दवा दुकानों पर की छापेमारी, दवा दुकानदार शटर गिराकर भागे

नरकटियागंज: औषधि विभाग ने कई कैमिस्ट शॉप्स पर छापेमारी की है। टीम को देख कई दवा दुकानदार शटर गिराकर फरार हो गए। छापेमारी के दौरान दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम में ड्रग इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार व सहायक ड्रग नियंत्रक सतीश कुमार इंदल कुमार आदि शामिल रहे। इन मेडिकल स्टोर पर दी गई दबिश : शहर में सहायक औषधि नियंत्रक सुषमा कुमारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने दवा दुकानों में दबिश दी। रेड के दौरान टीम ने पायल मेडिकल, शिफा इमर्जेंसी हॉस्पीटल में दवा दुकान व भारत मेडिकल को बंद कराया। इसके अलावा दिलीप फार्मा, भवानी मेडिकल हॉल की अधिकारियों ने जांच की। इनके अलावा, पूजा मेडिकल ड्रग हाउस, रंजीत मेडिकल हॉल आदि दुकानें बंद मिलीं। जांच के दौरान एक्सपायर दवा, दवाओं के कागजात, लाइसेंस, प्रतिबंधित दवाओं आदि की जांच की गई। दुकानदारों से खरीद व बिक्री के बारे में पूछताछ की गई। सहायक औषधि नियंत्रक सुषमा कुमारी ने बताया कि जांच के बाद दवा दुकानदार को दवा संबंधित सभी कागजात के साथ कार्यालय बुलाया गया है।

नशीली दवा की खेप के साथ युवक पकड़ा

सोलन (हप्र): नशीली दवा की खेप के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई करने के अलावा चोरी के मामलों में भी संलिप्त रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस की डिटेक्शन सेल टीम जब गश्त पर थी तो उन्हें सूचना मिली की मुकेश कुमार (36) उर्फ तोई निवासी गांधी मोहल्ला चौक सोलन में अपने रिहायशी मकान में कुछ साथियों के साथ नशीली दवाइयां बेचने का धंधा कर रहा है। सूचना के तहत पुलिस टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाकर आरोपी के रिहायशी मकान पर दबिश दी। मकान की तलाशी के दौरान मुकेश उर्फ तोई के कमरे में आरोपी के साथी करण ठाकुर, शुभम व कनिका भी मौजूद मिले। कमरे के अंदर एक बैग से 12 पत्ते (118 टेबलेट्स) सिंथेटिक ड्रग्स और 35,220 रुपये नकद बरामद हुए। दवा निरीक्षक ने धारा 18 ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। हैरानी की बात यह है कि तलाशी के दौरान आरोपी मुकेश कुमार के मकान से एक कैरी बैग में रखे 28 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। इनके बारे में आरोपी कोई भी बिल नहीं दिखा सका। इसके चलते थाना सदर सोलन में चोरी की संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी मुकेश कुमार पिछले महीने भी 400 सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहा है और उसके खिलाफ चोरी के दो मामले भी दर्ज हुए। जिसमें इसने करीब 16,000 रुपये व अन्य सामान चुराया था। इन दोनों मामलों में आरोपी को अदालत से सजा भी हो चुकी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

आयुर्वेदिक दवाओं में मिलावट का भंडाफोड़, 10 करोड़ की दवाएं बरामद

रायपुर (छत्तीसगढ़): प्राप्त समाचार के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं में मिलावट का भंडाफोड़ हुआ है। आयुर्वेद की जॉइंट पेन की दवाओं में एलोपैथ पेन किलर मिलाकर बाजार में बेचा जा रहा है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की दवाएं बरामद की गई हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग ने बीते दो सालों में प्रदेश में 11 लोगों को पकड़ा, जिसमें नौ कंपनियों के सैंपल में मिलावट की पुष्टि भी हुई है। विभाग ने दवा जब्त के बाद सैंपल जांच के लिए कलकत्ता की सेंट्रल ड्रग लाइब्रेरी में भेजा। वहां 11 में से नौ की रिपोर्ट में डाइक्लोफेनक सोडियम जैसी एलोपैथ पेन किलर की पुष्टि हुई।

लगातार सेवन से किडनी हो सकती है फेल : जांच विशेषज्ञों ने बताया कि इन पेन किलर की इतनी हैवी डोज मिली है, जिससे 6 महीने लगातार खाने पर किडनी फेल हो सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में भी आयुर्वेद दवाओं के मिलावट का मुद्दा उठा था। औषधि विभाग के अनुसार रायपुर, बलौदाबाजार और राजनांदगांव से यह रैकेट ऑपरेट हो रहा है। दो साल में इन्हीं जिलों में आयुर्वेद के अंदर एलोपैथिक दवाओं के मिलावटी प्रकरण पाए गए हैं। बलौदाबाजार में 5, रायपुर में 4 और नांदगांव में 2 प्रकरण दर्ज किए गए। पकड़ी गई दवाएं गठिया, ज्वाइंट पेन की थी। इसमें दावा किया गया था कि दवाओं से बीमारी ठीक होती है।

ये दवाइयां मिली मिलावटी : बताया गया है कि इन नकली दवाओं को आशीष गोयल और अशोक अग्रवाल मिलकर बनाते थे। इसके अलावा सर्जिफेंस प्लस हैंड सेनिटाइजर को राकेश सोमानी, ताराचंद सोमानी बना रहे थे। वर्ष 2022 में फेवीमेक्स- 400 दवा भी नकली पकड़ी गई। इसमें ज्योति अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, आत्माराम अग्रवाल जैसे 14 आरोपी मिले थे। 2023 में वायटीएम वाताहरी वटी की नकली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। इसके अलावा गाउटगोल्ड कैप्सूल भी नकली पकड़ी गई थी।

पब्लिक हॉस्पिटल पर रेड, अनियमितता मिलने पर किया सील

रामपुर: पब्लिक हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं मिली हैं। मुख्य चिकित्सा कार्यालय के नोडल अधिकारी ने अस्पताल को सील कर दिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अनुपस्थित मिले और अस्पताल का रिन्यूवल भी नहीं पाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर केके चहल ने बताया कि नगर में स्थित पब्लिक हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी। इस पर अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया गया। अस्पताल संचालन संबंधी दस्तावेज मांगे लेकिन दस्तावेजों में कमी पाई गई। इस कारण अस्पताल को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि नगर के अन्य अस्पतालों पर भी दबिश दी गई। कई अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गए।

अस्पताल संचालक ने बताया कि एक मई को उप जिलाधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस समय जांच अधिकारियों ने कहा कि अपने अस्पताल के सभी दस्तावेज लेकर कार्यालय में प्रेषित करें। इसी दौरान छह जून को चिकित्सा अधीक्षक मिलक द्वारा एक नोटिस अस्पताल को भेजा गया था। इसके संबंध में अस्पताल संचालक ने अस्पताल से संबंधित सभी दस्तावेज विभाग को सौंप दिए थे, जिनकी रिसीविंग भी उनके पास उपलब्ध है। अस्पताल संचालक डॉ. मोहम्मद जान ने आरोप लगाया कि सारे दस्तावेज विभाग को भेज देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कमी का नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ और अचानक मंगलवार को नोडल अधिकारी द्वारा अस्पताल को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को अस्पताल के रिन्यूवल के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया था। इसकी विभागीय रिसीविंग भी उनके पास उपलब्ध हैं। पब्लिक हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं मिली हैं।

नकली दवा फैक्ट्री कांड का आरोपी अरेस्ट, भेजा जेल

आगरा: नकली दवा फैक्ट्री कांड के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जुलाई 2023 में सिकंदरा और जगदीशपुरा इलाके में दो नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई थीं। एंट्री नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पांच करोड़ से अधिक की दवाएं बरामद हुई थीं। मामले में गिरफ्तार करीब आधा दर्जन लोगों को जेल हुई थी। पुलिस ने इस मामले में वांछित चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर सिकंदरा नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि अग्रसेन कॉलोनी, बाड़ी (धौलपुर) निवासी हर्ष गुप्ता उर्फ अमन गुप्ता को पकड़कर जेल भेजा गया है। आरोपित वर्तमान में शास्त्रीपुरम स्थित कांशीराम आवास में रह रहा था। आरोपित के पास से एक स्कूटी, दो मोबाइल, 61700 रुपये आदि सामान बरामद हुआ। जुलाई 2023 में सिकंदरा और जगदीशपुरा थाने में नकली दवा फैक्ट्री के मामले पकड़ में आए थे। इस मामले में हर्ष गुप्ता का नाम सामने आया था। आरोपित फैक्ट्री में बनने वाली दवाएं सप्लाई करने का काम करता था। उसके जरिए दवाएं राजस्थान तक भेजी जाती थीं। आरोपित की तलाश में पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही थी। आखिर पुलिस ने आरोपित को यूपीएसआईडीसी मंगलम तिराहे के पास से दबोचकर जेल भेज दिया।

अमेरिकी FDA ने मर्क-दाइची की गाइडेड मिसाइल कैंसर दवा को मंजूरी देने से किया इनकार

लंदन: अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मर्क और जापान स्थित दाइची सैंक्यो के फेफड़ों के कैंसर के उपचार को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जो कैंसर उपचारों के एक आकर्षक वर्ग से संबंधित है जो निर्देशित मिसाइलों की तरह काम करता है। कंपनियों ने बुधवार को देर से कहा कि FDA ने अपने तथाकथित पूर्ण प्रतिक्रिया पत्र में एक तृतीय-पक्ष विनिर्माण सुविधा के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का हवाला दिया। पत्र, जो दर्शाता है कि एजेंसी ने कंपनियों के आवेदन की समीक्षा की है और इसमें लंबित प्रश्न हैं, प्रस्तुत प्रभावकारिता या सुरक्षा डेटा के साथ किसी भी मुद्दे की पहचान नहीं की। कंपनियों ने कहा कि वे प्रतिक्रिया को संबोधित करने के लिए FDA और तृतीय-पक्ष निर्माता के साथ काम करेंगे। पैट्रिटुमैब डेरक्सटेकन नामक यह उपचार तीन एंटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट (ADC) में से एक है, जो पिछले साल मर्क के दाइची सैंक्यो के साथ 22 बिलियन डॉलर तक के संयुक्त विकास और व्यावसायीकरण सौदे का हिस्सा थे। ADC लक्षित कैंसर उपचार हैं, जिनमें दो मुख्य घटक शामिल होते हैं-एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो विशिष्ट ट्यूमर कोशिकाओं से जुड़ता है और एक विष जो उन कोशिकाओं को मार देता है जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुँचाता - एक तरह से निर्देशित मिसाइल की तरह काम करता है। कंपनियों ने उन रोगियों में नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज के लिए उपचार की स्वीकृति मांगी, जो पहले की दो उपचार पद्धतियों में विफल हो चुके हैं और जिनके ट्यूमर में एक निश्चित प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जो म्ळथ्ट प्रोटीन के अनियंत्रित विकास की ओर ले जाता है।

नशीली टेबलेट्स, कैप्सूल की तस्करी में दो गिरफ्तार

ऋषिकेश: नशीली टेबलेट्स और कैप्सूल की तस्करी में महिला समेत दो को गिरफ्तार किया गया है। दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाईं ने बताया कि पुलिस टीम सुबह के समय गश्त पर थी। इसी दौरान गैस गोदाम राजीवनगर के पास एक महिला और पुरुष संदिग्ध रूप से खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों बाइक पर सवार होकर फरार होने लगे। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की। पुलिस टीम ने दोनों की तलाशी ली तो उनके पास काफी मात्रा में नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुईं। दोनों आरोपियों की पहचान सलीम अहमद निवासी तेलीवाला डोईवाला और जीनत खान उर्फ नाजनी निवासी राजीवनगर डोईवाला के रूप में हुई।

वॉकहार्ट का लक्ष्य वित्त वर्ष 26 की शुरुआत तक अमेरिकी डॉलर की बाजार क्षमता वाली एंटीबायोटिक लॉन्च करना है

मुंबई: प्राप्त समाचार के अनुसार दवा निर्माता कंपनी वॉकहार्ट ने कहा कि एंटीबायोटिक पर शोध और परीक्षण संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, और इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में इसे लॉन्च करना है। शहर स्थित कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष हबील खोराकीवाला ने यहां संवाददाताओं को बताया कि जैनिच की बाजार क्षमता 25 अरब अमेरिकी डॉलर है।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने अब तक अपने शोध प्रयासों पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे छह सफलताएं मिली हैं, जिनमें जैनिच भी शामिल है जो विकास और विपणन के विभिन्न स्तरों पर हैं। एक बयान के अनुसार, अमेरिकन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट द्वारा उच्च प्रतिरोध दर दिखाने वाले लगभग 10 ग्राम नकारात्मक रोगजनकों के लिए जैनिच को 64 मिलीग्राम प्रति लीटर का संवेदनशीलता ब्रेकपॉइंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 के अंत तक एंटीबायोटिक लॉन्च करने के लिए भारतीय विनियामकों से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद जल्द ही इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। खोराकीवाला ने वाणिज्यिक रणनीतियों की रूपरेखा बताते हुए कहा कि विकसित बाजारों के लिए भी कंपनी को उम्मीद है कि मंजूरी इसी समयसीमा में या शायद कुछ देरी से मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में कंपनी विकसित बाजारों में कीमत के दसवें हिस्से पर एंटीबायोटिक बेचने की योजना बना रही है और मुख्य रूप से निमोनिया के रोगियों को लक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि विकसित बाजारों में यह ऐसे भागीदारों की तलाश करेगी जो एंटीबायोटिक बेचने के लिए नेटवर्क स्थापित करने के इच्छुक हों। खोराकीवाला ने कहा कि स्थानीय स्तर पर एंटीबायोटिक प्रतिरोध का स्तर 60 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 35 प्रतिशत है। एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में 480 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने से 25 मिलियन अमरीकी डालर का इस्तेमाल जैनिच के अनुसंधान और विकास के लिए किया, जबकि 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए किया गया।

अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी, एक कमरे में बंद मिले 30 नशेड़ी

नोएडा: अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी का मामला सामने आया है। दबिश के दौरान अवैध केंद्र के एक कमरे में 30 नशेड़ी बंद पाए गए। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (डीटीसीसी) की टीम ने पुलिस के साथ की। स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (डीटीसीसी) की टीम ने सेक्टर-63ए में बिना लाइसेंस अवैध रूप से चलाए जा रहे नशों मुक्ति केंद्रों के खिलाफ छापेमारी की गई। छापे की सूचना से दो संच. ालक नशा मुक्ति केंद्र बंद कर फरार हो गए। अन्य दो नशा मुक्ति केंद्रों में भारी अनियमितताएं मिली हैं। एक छोटे से कमरे में कहीं 27 तो कहीं 30 मरीज भर्ती मिले हैं।

कमरे में 30 मरीज भर्ती मिले : छापेमारी की सूचना से दो संचालक नशा मुक्ति केंद्र बंद कर फरार हो गए। जबकि दो नशा मुक्ति केंद्रों में कई अनियमितता मिली है। जहां एक छोटे से कमरे में कहीं 27 तो कहीं 30 लोग भर्ती मिले।

कांगो अधिकारियों ने प्रकोप को रोकने के लिए एमपॉक्स टीकों को मंजूरी दी

लंदन: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारियों ने देश में फैल रहे खतरनाक नए स्ट्रेन और मामलों में उछाल से निपटने के लिए दो एमपॉक्स वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है । पिछले साल की शुरुआत से कांगो में एमपॉक्स के 20,000 मामले सामने आए हैं और 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। यह बीमारी एक वायरल संक्रमण है जो नजदीकी संपर्क से फैलता है, जिससे फ्लू जैसे लक्षण और मवाद भरे घाव हो सकते हैं। ज्यादातर मामले हल्के होते हैं लेकिन इससे जान भी जा सकती है। इस हफ्ते, विश्व स्वास्थ्य संगठन (HO) और वैज्ञानिकों ने कांगो के दक्षिण किवु प्रांत में एक नए, ज्यादा घातक स्ट्रेन के फैलने की चेतावनी दी। प्रक्रिया में शामिल दस्तावेजों और स्रोतों के अनुसार, नियामक ने बवेरियन नॉर्डिक के शॉट, जिनेओस और केएम बायोलॉजिक्स द्वारा निर्मित एलसी16 दोनों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी किया है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक कांगो में एमपॉक्स का पहला मानव मामला 1970 में दर्ज किया गया था, लेकिन देश में नैदानिक परीक्षणों के बाहर बीमारी से निपटने के लिए कभी भी टीके या उपचार तक पहुंच नहीं थी। 2022 में यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों उपकरण व्यापक रूप से उपलब्ध थे, जब एमपॉक्स के कम गंभीर स्ट्रेन का प्रकोप वैश्विक स्तर पर फैल गया था। कांगो में नवीनतम प्रकोप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक बाधाओं, धन की कमी, प्रतिस्पर्धी रोग प्रकोप और कलंक ने प्रतिक्रिया को रोक दिया है। वैक्सीन एलायंस, गावी की मुख्य कार्यकारी सानिया निश्तार ने पिछले सप्ताह रॉयटर्स को बताया कि उनका संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से वैक्सीन के दान की सुविधा के लिए कोविड-19 युग के प्रोटोकॉल का उपयोग करने के लिए तैयार है, जब एक बार स्वीकृति मिल जाती है। बुधवार को बवेरियन नॉर्डिक के प्रवक्ता ने कांगो में स्वीकृति की पुष्टि की। केएम बायोलॉजिक्स ने ईमेल के जरिए कहा कि कांगो को वैक्सीन की संभावित आपूर्ति थी, लेकिन उसके पास साझा करने के लिए कोई अन्य जानकारी नहीं थी।

अवैध रूप से प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स बेचने वालों पर सरकार कसेगी शिकंजा

नई दिल्ली: प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स बेचने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है। सरकार इनकी अवैध तरीके से बिक्री पर लगाम कसने जा रही है। अब अधिकृत मेडिकल प्रमाणपत्रों के बिना या भ्रामक लेबलिंग दावों के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, पाउडर और शेक बेचे नहीं जा सकेंगे।

प्रोटीन पर सख्त नियम लागू करेगा एफएसएआई : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएआई) प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर सख्त नियम जारी करने के लिए तैयार है। दरअसल, जांच में पता चला है कि दर्जनों प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स स्टोर शेल्फ, जिम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर झूठे और भ्रामक दावों के साथ बेचे जा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बाजार में अनेक प्रोटीन उत्पाद हैं जो फायदे से ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। सख्त नियम बनाकर लोगों के स्वास्थ्य को कोई नुकसान होने से बचाया जाएगा। ऐसे कई उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है जो नए नियमों को पूरा नहीं करते हैं।

प्रोटीन उत्पादों पर गलत लेबलिंग आम बात : मैक्स हेल्थकेयर के एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज के चेयरमैन डॉ. अंबरीश मिथल का कहना है कि प्रोटीन उत्पादों पर गलत लेबलिंग आम बात है। ऐसे उत्पादों में क्या शामिल है? यह हमें नहीं पता लग पाता। अगर किसी का नियमित आहार प्रोटीन की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, तो वह प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकता है। इसके लिए सीमित मात्रा और नियमन और चिकित्सा मार्गदर्शन जरूरी है। स्नैपडील और टाइटन कैपिटल के सह-संस्थापक कुणाल बहल ने प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में कहा था कि मैंने प्रसिद्ध घरेलू ब्रांड का इस्तेमाल किया। लेकिन दो माह के भीतर इसने मेरे लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दीं।

अमेरिकी फंड प्लैटिनम ने भारत में प्रवेश के लिए इन्वेंटिया हेल्थ का अधिग्रहण किया

नई दिल्ली: अमेरिका स्थित बायआउट फंड प्लैटिनम इक्विटी एडवाइजर्स ने भारत में अपना पहला प्राइवेट इक्विटी सौदा किया है। इस डील से अवगत कई लोगों ने बताया कि इसने मुंबई स्थित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इन्वेन्टिया हेल्थकेयर में 2,500 करोड़ रुपये ($300 मिलियन) के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है। वर्तमान में, दोनों निवेशकों के पास इन्वेन्टिया में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। प्रमोटर जनक शाह और परिवार के पास बाकी हिस्सेदारी है। रोथ्सचाइल्ड और स्टिफेल फाइनेंशियल कॉर्प (टोरेया) ने फंड को सलाह दी, जबकि बार्कलेज ने प्लैटिनम को सलाह दी। ईटी ने सबसे पहले जनवरी में प्लैटिनम इक्विटी के साथ चर्चाओं की सूचना दी थी। सूत्रों ने बताया कि योजना के अनुसार, प्रमोटर परिवार अल्पमत हिस्सेदारी बनाए रखेगा और व्यवसाय का प्रबंधन करेगा। प्लैटिनम, इन्वेन्टिया हेल्थकेयर, इनवेसेंट कैपिटल और जैकब बैलास को भेजे गए मेल का कोई जवाब नहीं मिला। 1995 में स्थापित, कैलिफोर्निया स्थित प्लेटिनम इक्विटी के पास प्रबंधन के तहत $48 बिलियन से अधिक की संपत्ति और वैश्विक स्तर पर लगभग 50 ऑपरेटिंग कंपनियों का पोर्टफोलियो है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, पिछले 28 वर्षों में प्लेटिनम इक्विटी ने 450 से अधिक अधिग्रहण और ऋण वित्तपोषण पूरे किए हैं। स्वास्थ्य सेवा में, प्लेटिनम के पास लाइफस्कैन - ग्लूकोज प्रबंधन उत्पादों और समाधानों का एक अमेरिकी-आधारित निर्माता; और एनडीसी, एक अमेरिकी-आधारित स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला कंपनी है। अमे. रिका स्थित बायआउट फंड प्लैटिनम इक्विटी एडवाइजर्स ने भारत में अपना पहला प्राइवेट इक्विटी सौदा किया है।

ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

मद्रास: ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के पक्ष में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से ई-फार्मा कंपनियों को अपने कारोबार के लिए निश्चितता मिल सकेगी। उद्योगपतियों का कहना है कि वे अब नियामक व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार के साथ चर्चा के इंतजार में हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश वाले पीठ के आदेश को रद कर दिया है, जिसमें उनसे दवाओं का डिजिटल व्यापार रोकने के लिए कहा गया था। एक ऑनलाइन फार्मेसी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले कुछ अनिश्चितता थी। अब मसौदा नियमों के जारी होने और अब मद्रास उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश की वजह से उद्योग को वैधता मिल गई है। इसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। संभव है कि अब ई-फार्मेसियों को काम करने से रोका नहीं जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अगला कदम केंद्र सरकार को उठाना है और इस क्षेत्र की निगरानी के लिए उचित नियामकीय व्यवस्था बनानी है। ई-कॉमर्स के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इससे ई-फार्मेसी कंपनियों को सुचारू रूप से काम करने का काफी भरोसा मिलने वाला है। अधिकारी ने बताया कि ई फार्मा कपंनियां अब भी असमंजस की स्थिति में कार्यरत हैं। इसके लिए एक व्यापक ई-फार्मेसी नीति की जरूरत है। ई-फार्मेसियों को कई कानूनों का पालन करना पड़ता है। साथ ही ऑफलाइन फार्मासिस्टों का दबाव भी बना रहता है। इसके लिए को-ऑप्ट मॉडल की जरूरत है, जहां ई-फार्मा कंपनियां ऑफलाइन स्टोरों के साथ मिलकर काम करें और ग्राहकों को दवाइयां पहुचाएं। मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वाले पीठ ने दिसंबर 2018 में फैसला सुनाया था कि ई-फार्मेसियों को दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में अपना ऑनलाइन कारोबार बंद करना होगा। जब तक केंद्र सरकार दवाओं के डिजिटल व्यापार के लिए उचित नियामकीय व्यवस्था नहीं बना लेती, तब तक ये नियम लागू रहेगा। उस समय ऑनलाइन फार्मेसियों ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी।

प्रतिबंधित दवा की तस्करी में दोषी को 10 साल कैद

सिरसा: प्रतिबंधित दवा की तस्करी मामले में गिरफ्तार दोषी को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सीआईए डबवाली पुलिस 8 नवंबर 2020 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव अबूबशहर में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। युवक के पास प्लास्टिक का थैला था। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो थैले में से प्रतिबंधित दवा की एक हजार गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में युवक की पहचान कालू राम निवासी गांव अबूबशहर के रूप में हुई। पुलिस ने कालू राम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुनीष बजाज ने बताया कि न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने कालू राम को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी। फैसले से पहले दोषी ने न्यायाधीश से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। दोषी कालूराम ने कहा कि वह गरीब व्यक्ति है और उसकी बुजुर्ग मां बीमार है। उसके दो बच्चे हैं और उनकी देखभाल करने वाला उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है।

नशीले इंजेक्शन की तस्करी रोकी, दो युवक गिरफ्तार कर भेजे जेल

महराजगंज: नशीले इंजेक्शन की तस्करी पकडने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत-नेपाल बार्डर से सटे बरगदवा पुलिस, स्वाट टीम व एसएसबी जवानों की संयुक्त टीम ने एक लक्जरी कार सहित प्रतिबंधित नशीली दवाओ के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमे एक ठूठीबारी व दूसरा पीपीगंज का निवासी है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बार्डर एरिया में अवैध तस्करी पर रोकथाम के लिए बरगदवा पुलिस, स्वाट टीम व 22वी बटालियन एसएसबी जवानों की टीम संयुक्त रूप से जांच कर रही थी। इसी बीच दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने क्षेत्र चकरार एसएसबी रोड के समीप एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी में भारी मात्रा में अवैध नशीले इंजेक्शन 499 एम्पुल डायजेपम, 500 एम्पुल प्रोमेन्थोजाइन, 523 एम्पुल ब्यूरोनार्फिन, 484 अदद एनआरएक्स रैपर, दो अदद मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड व 140 रुपए नगद भी बरामद हुए। इसके साथ ड्रग्स कारोबार में संलिप्त दो तस्कर क्रमश: इरशाद अली पुत्र स्व. आबिद अली निवासी ठूठीबारी और सन्नी जयसवाल पुत्र अजय जयसवाल निवासी पीपीगंज को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि उपरोक्त प्रतिबंधित दवा पीपीगंज से लाकर नेपाल राष्ट्र भेजे जाने की योजना थी। इस संबंध में एसओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि ड्रग्स कारोबार में संलिप्त दो तस्करों को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है।

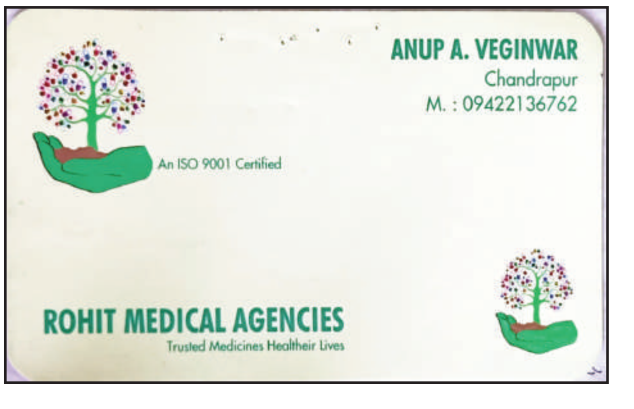

ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर 2.46 करोड़ रुपये के कैप्सूल जब्त

फिरोजपुर: ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ और स्वास्थ्य विभाग ने 2.46 करोड़ रुपये के कैप्सूल जब्त किए हैं। लाइसेंस और खरीद बिल के बगैर नशे की लत रोक लगाने के लिए पंजाब पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने फिरोजपुर के मक्खू से नशे की लत को रोकने के लिए चलाए जा रहे नशे के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवई करते हुए एसटीएफ ने इस गिरोह के पास से 2.76 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 9,72,000 कैप्सूल बरामद किए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर सोनिया गुप्ता ने बताया कि एसटीएफ को भीम कुमार ठुकराल के घर से ड्रग्स बरामद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मक्खू में बिना लाइसेंस और बिना किसी खरीद ऑर्डर या बिल के संयुक्त अभियान चलाया गया। ट्रामाडोल और प्रीगैबलिन कैप्सूल बरामद किए गए। प्रीगैबलिन के बरामद किए गए करीब एक लाख कैप्सूल की कीमत 30 लाख रुपये है। बाद में, हमें एक भंडारण गोदाम के बारे में भी पता चला, जहां से 2.46 करोड़ रुपये की कीमत के 8,72,000 प्रीगैबलिन कैप्सूल की भारी मात्रा बरामद की गई। बताया गया है कि जब्त की दवाओं को स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ ने अपने पास रख लिया है और दो अलग-अलग कार्रवाई की जाएगी। एक तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना लाइसेंस और खरीद बिल के नशीली दवाओं की बरामदगी और दूसरी एसटीएफ द्वारा भारी मात्रा में आदत डालने वाली दवाओं को भंडारण में रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ की टीम बरामद दवाओं को अदालत में पेश करेगी ताकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रिमांड पर लिया जा सके और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों के अलावा इसके स्रोत और आगे की आपूर्ति पर विशेष ध्यान देते हुए गहन जांच की जा सके।

नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 करोड़ से ज्यादा का सामान जब्त

अहमदाबाद: नकली दवा फैक्ट्री के भंडाफोड़ का मामला प्रकाश में आया है। गुजरात खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गांधीनगर में अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इस कंपनी का मालिक भाविन पटेल बताया गया है। गुजरात एफडीसीए के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें संदेह है कि फैक्ट्री पूरे राज्य में घटिया और संभावित रूप से हानिकारक दवाइयों की सप्लाई कर रही थी। आयुक्त एचजी कोशिया ने कहा कि छापेमारी से कंपनी में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। कंपनी मालिक पटेल ने कथित तौर पर नकली उत्पादन लाइसेंस का इस्तेमाल किया और कर्मचारियों में कोई योग्य तकनीशियन नहीं रखा। आशंका है कि डिबासिक कैल्शियम फॉस्फेट (डीसीपी) या स्टार्च जैसे टैबलेट फिलर्स का इस्तेमाल दवा में बिना या अनुचित सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के किया जा रहा था। इसे एजिथ्रोमाइसिन, पेरासिटामोल, मिथाइलकोबालामिन (एक विटामिन बी 12 दवा), प्रीगैबलिन (एनाल्जेसिक) और थियोकोलचिकोसाइड (गठिया की दवा) के रूप में बेचा गया था। अधिकारियों के अनुसार मिथाइलकोबालामिन, प्रीगैबलिन और थियोकोलचिकोसाइड को डीसीपी, स्टार्च या सस्ते एपीआई से बदल दिया और इन नकली दवाओं को बेच दिया था। मौके से दवाओं के सैंपल लिए गए हैं और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया है कि पटेल ने दवा फैक्ट्री के लिए कथित तौर पर फर्जी उत्पादन लाइसेंस और जीएसटीआईएन/यूआईएन प्राप्त किया। उन्होंने टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए मशीनरी खरीदी और बैंक ऋण भी प्राप्त किया। फैक्ट्री में डमी छर्रे, खाली कैप्सूल के गोले, ओमेप्राजोल कैप्सूल, ओमेप्रा. जोल छर्रे और मक्का स्टार्च पाउडर पाए गए हैं। एफडीसीए का कहना है कि छापेमारी के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और नकली एपीआई जब्त की गईं।

श्रीमती चन्द्रकला देवी

करूणा एवं स्नेह की प्रतिमूर्ति
स्व. चन्द्रकला देवी जी
की
99वीं जयंती
अवतरण: शनिवार २७ जून १९२५
तदनुसार आषाढ़ शुक्ल षष्ठी, विक्रम सम्वत् १९८२
पर
हमारा कोटि-कोटि नमन्
आपके ममतामयी सानिध्य में रहकर ही
हम अपने कर्तव्यों के पालन में सफल रहे.
समस्त गर्ग परिवार

चन्द्रकला देवी सरस्वती शिशु मन्दिर | मैडीकल दर्पण | ADR (Advance Drug Reckoner)
गुलाबराय राकेश कुमार | फार्मा दर्पण | गौरव मैडीकोज्
जी.सी. डिग्री कॉलेज | फार्मा न्यूज | ब्रजेश मैडीकल स्टोर

नकली दवा गिरोह के भंडाफोड़ मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

नागपुर (महाराष्ट्र): नकली दवा गिरोह के भंडाफोड़ मामले में उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। नागपुर जिले के कलमेश्वर पुलिस थाने की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रमन विजयकुमार तनेजा नामक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नागपुर पुलिस ने मार्च 2023 में इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने नाग. पुर से करीब 40 किलोमीटर दूर कलमेश्वर तहसील में एक सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से 'सिप्रोफ्लॉक्सासिन' गोलियों के सैंपल लिए थे और उन्हें परीक्षण के लिए मुंबई की सरकारी प्रयोगशाला में भेजा था। जांच रिपोर्ट से पता चला कि इन गोलियों का कोई औषधीय महत्व नहीं था। दरअसल, इनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन नामक दवा का कोई अंश नहीं था। इस दवा को कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों की नाग. पुर स्थित इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के माध्यम से सप्लाई की गई थीं। एफडीए अधिकारियों ने इस वर्ष की शुरुआत में अस्पताल के स्टोर पर छापा मारा और उसी ब्रांड की 21,600 गोलियां जब्त की थी। बताया गया कि गोलियों की पट्टियों से पता चलता है कि इनका निर्माण गुजरात स्थित एक कंपनी द्वारा किया गया था, जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। उस समय तीन लोगों विजय शैलेन्द्र चौधरी, लातूर के हेमंत धोंडीबा मुले और भिवंडी के मिहिर त्रिवेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब तनेजा का नाम भी सामने आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

फेमस कंपनी का 3 हजार किलो देसी घी मिला नकली

नवसारी (गुजरात): फेमस कंपनी का करीब 3 हजार किलो देसी घी जांच में नकली पाया गया है। बाजार में देसी घी के नाम पर बिक रहा ये जहर कहीं आपके स्वास्थ्य को खराब न करे दे, इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। गुजरात के फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने नवसारी में 3000 किलो नकली देसी घी जब्त किया है। जांच के बाद पता चला कि इस घी में गंदे तेल की मिलावट की गई थी। इस कंपनी का घी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाता है। नवसारी की एक यूनिट से घी के 8 सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में पता चला कि सुखवंत नाम से बिकने वाले 3000 किलो घी में पामोलीन तेल की मिलावट है। इस तेल की कीमत लगभग 14 लाख आंकी गई है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले जयपुर में भी नकली घी जब्त किया गया था। गौरतलब है कि सेहत तंदुरुस्त बनाने के लिए लोग देसी घी का सेवन करते हैं। लेकिन बाजार में नकली घी की धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। नकली घी का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक माना गया है।

औषधि विभाग को मिला दवा का अवैध भंडार, फ्लैट किया सील

बिजनौर: प्राप्त समाचार के अनुसार औषधि विभाग की टीम ने दवा का अवैध भंडार मिलने पर फ्लैट को सील कर दिया है। बताया गया कि जिस फ्लैट में दवा अवैध रूप से रखी गई थी, उसके बारे में शिकायत मिलने पर औषधि निरीक्षक समेत तीन सदस्यीय टीम ने एक फ्लैट पर छापा मारा। टीम को देख फ्लैट के अंदर मौजूद महिला ताला बंद कर दूसरे रास्ते से निकल गई। जिस कारण दवाओं को बरामद नहीं किया जा सका। आखिर टीम ने जांच होने तक उक्त फ्लैट के ताले पर सील लगा दी और नोटिस चस्पा कर लौट गए। औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि उन्हें महादेवपुरम स्थित एक फ्लैट में दवाओं का अवैध रूप से भंडारण करने की सूचना मिली थी। इसके चलते औषधि निरीक्षक ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपम यादव व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. राकेश कुमार के साथ बताए गए फ्लैट पर दबिश दी। टीम ने घर में मौजूद महिला से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन महिला ने इनकार किया। इसके बाद निरीक्षक टीम थाने से महिला पुलिसकर्मी को बुलाने चले गए। महिला पुलिसकर्मी को लेकर टीम पहुंची तो फ्लैट पर ताला लगा मिला। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि उक्त महिला अन्य महिला के साथ फ्लैट में ताला लगाकर दूसरे रास्ते से चली गई। डीआई ने बताया कि पहले उन्होंने गृहस्वामी को फोन कर उनसे आकर जांच में सहयोग करने के लिए कहा तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद एसडीएम ने तहसीलदार को इसके लिए कहा तो तहसीलदार ने एक नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नामित कर दिया। मौके पर जब डीआई पहुंचे तो मजिस्ट्रेट साथ में नहीं थे। पूछने पर बताया कि किसी अन्य जांच में जाने की बात कहते हुए वे रास्ते से ही लौट गए। इसके बाद टीम ने घर पर सील लगाकर, वहां नोटिस चस्पा किया।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी जांच : मजिस्ट्रेट के आने पर उनकी मौजूदगी में ही सील तोड़कर जांच की बात कही गई है। औषधि निरीक्षक उमेश भारती के अनुसार शिकायतकर्ता ने त्वचा क्लीनिक के डा. एचएस चौहान की शिकायत की थी और क्लीनिक के बजाय यहां उनके रिश्तेदार के फ्लैट पर अवैध दवाएं रखी गई बताई थीं। इस अवधि में एक पुलिसकर्मी की तैनाती वहां रखने के लिए एसएचओ से अनुरोध किया है।

क्लीनिक और मेडिकल स्टोर पर रेड, 30 हजार दवाइयां सीज

बाराबंकी। क्लीनिक और मेडिकल स्टोर पर छापामारी की गई है। औषधि विभाग की टीम ने मौके से करीब 30 हजार रुपये कीमत की ऐलोपैथिक दवाइयां सीज की हैं। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टरों व मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा रहा। अयोध्या मण्डल के सहायक आयुक्त (औषधि) जीसी श्रीवास्तव ने मिली शिकायत के आधार पर अपनी टीम के साथ सतरिख थाना क्षेत्र के उधवापुर मार्ग मेला मैदान के सामने स्थित क्लीनिक तथा मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। जांच के दौरान टीम के मांगने पर क्लीनिक संचालक विक्रम प्रसाद अपने क्लीनिक व मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नही दिखा सके।

निजी अस्पताल में पकड़ी गई आशा फर्जी नाम व पते बताकर फरार

बरेली: निजी अस्पताल में आशाएं पकड़ी गईं तो वे मौके पर पहुंची टीम के अधिकारियों को फर्जी नाम और पता बताकर फरार हो गईं। इसका खुलासा तब हुआ, जब उनके नाम का नोटिस संबंधित सीएचसी और पीएचसी के एमओआइसी के पास पहुंचा। बताया गया कि जो नाम नोटिस में हैं, उस नाम की आशाएं उनके यहां कार्यरत नहीं हैं। अब वीडियो दिखाकर दूसरी आशाओं से उनकी पहचान करवाई जा रही है। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि उन्हें मिनी बाइपास स्थित नोवा केयर अस्पताल में देहात की आशाओं को बुलाकर बैठक की सूचना मिली थी। तत्काल स्वास्थ्य विभाग की एक टीम अस्पताल में निरीक्षण के लिए भेजी गई। अस्पताल में 05 ब्लॉक की 16 आशाएं बैठक में उपस्थित मिलीं। टीम में शामिल अधिकारियों ने उनसे बैठक में मौजूदगी का कारण पूछा, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं। टीम ने अस्पताल में मौजूद सभी आशाओं की फोटो-वीडियोग्राफी करवाई। इसके साथ ही उनके नाम और पते भी नोट किये। इसके बाद सीएमओ को विवरण दिया। इस पर सीएमओ ने 05 ब्लाकों के एमओआइसी को पत्र जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा। हैरानी तब हुई, जब जब यह पत्र संबंधित एमओआइसी के पास पहुंचा और उन्होंने अपने-अपने ब्लॉक में उन आशाओं के कार्यरत नहीं होने की बात कही। अस्पताल में आशाएं पकड़ी गईं तो वे मौके पर पहुंची टीम को फर्जी नाम और पता बताकर फरार हो गईं। इसकी जानकारी से सीएमओ कार्यालय में भी खलबली मची है।

नशीली दवा के कारोबार का भंडाफोड़, 11 को किया गिरफ्तार

गाजीपुर: नशीली दवा के काले धंधे से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने गिरोह के सरगना समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने पकड़े गए सदस्यों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाई व इंजेक्शन के साथ ही नकदी भी जब्त की है। एसपी ओमव. ीर सिंह ने बताया कि महुआबाग इलाके के एक घर में नशीली दवा व इंजेक्शन लगाने के अवैध कार्य की सूचना मिली थी।

पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा और इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने मौके से गिरोह के सरगना धीरेन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व. सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी निवासी महुआबाग को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा छोटू राम पुत्र हरेन्द्र राम निवासी टडवा यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद, सोनू पासवान पुत्र सुरेश पासवान निवासी नवपुरा यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद, अजय कुमार चौबे पुत्र स्व. ओम प्रकाश चौबे निवासी राजापुर थाना करीमुद्दीनपुर, सत्या डोम पुत्र हलवाई डोम निवासी ताडीघाट थाना सुहवल, रोहित पुत्र स्व. पटकू निवासी खुदाईपुरा थाना कोतवाली को दबोचा। इनके अलावा, सुजीत कुमार पुत्र मुन्नू निवासी चीतनाथ छवलका इनार, सद्दाम पुत्र रफी अहमद निवासी सराय की गली थाना कोतवाली, राजेश पुत्र अजय निवासी टडवा कालोनी यूसुफुपुर, शेरू पुत्र लल्लू निवासी नवाब फाटक थाना कोतवाली और सन्त लाल पुत्र जिउत राम निवासी कलेक्टर घाट थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। ये सभी नशीले इंजेक्शन का सेवन करते पाए गए। उनके पास से नशीले इंजेक्शन बुप्रीरेज 210, तथा 30 शीशी प्रत्येक 10 एमएल ऐविल इंजेक्शन एवं 560 पीस निडल और 180 पीस सिरिन्ज बरामद किए।

सैंपल फेल मिलने पर दो दवा निर्माता कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज

नई दिल्ली। सैंपल फेल मिलने पर संबंधित दो दवा निर्माता कंपनियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती ने बताया कि अलग-अलग स्थानों से लिए गए दवाओं के दो सैंपल जांच में फेल मिले हैं। इसके चलते दोनों दवाओं की निर्माता कंपनियों व जिम्मेदार स्टाफ के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को कोतवाली देहात के गौड़ मेडिकल से रेबिक डीएसआर कैप्सूल (रेबीप्राजोल व डोमपेरिडोनकांबीनेशन) का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में यह अधोमानक व निम्नस्तर का पाया गया।

Sachin Chintawar
CDCDA - Vice President
चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन
CHANDRAPUR DISTRICT CHEMISTS & DRUGGISTS ASSOCIATION
Shri Mahalaxmi Agencies
Bazar Chowk Mul – 441224
Dist - Chandrapur
+91 9423607460, 9657413720
Email - swarachintawar@yahoo.com
Office : CDCDA
3rd Floor, Pattiwar Building, Main Road,
Chandrapur-442402 (M.S.)
: 07172 - 257718, 250580
E-mail : cdcdachd1@gmail.com

Hemant Chandak
Mob. - 9960699294
Om Swastik Medical Agencies
Pharmaceutical Distributors
Ground Floor, Medical Complex, Ekori ward
Chandarpur - 442401

PALCO

Free consultancy and set up for old / new nursing home, medical center / hospitals, R&D LAB, educational science lab school, all industries lab with trunkey projects in pan India.

Contact : Mr. R.P. PAL / NEERAJ PAL

Call : 9891177191 / 8377951686

1802, FF, Electrical Market, Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi 110006

AUTHORIZED DISTRIBUTORS OF ADR BOOK

Location	Party Name	Contact No.
Agra	Satish Book Enterprises	9997877123
Ahmedabad	Bharat Medical Book House	9824013920
Akola	Book Emporium	9422861751
Aligarh	Rama Book Store	9319275252
Allahabad	Chetana Medical Books	9307978423
Amritsar	City Book Shop	0183-2571591
Amritsar	Medical Books & Surgicals Centre	0183-2422729
Aurangabad	Arihant Excel Medical Book House	9822259681
Aurangabad	Shri Samarth Book Depot	9822034577
Belgaun	Shri Ganesh Book Stall	8312461258
Berhampur	Book World	9861015189
Bhagalpur	Kora Kagaz	9771511779
Bhopal	Lyall Book Depot	0755-2543624
Bhubaneswar	Annapurna Medical Book Shop	9861243882
Bikaner	Academy Book Centre	9414138998
Burla	Bharat Book Emporium	9337335744
Calicut	Ramdas Sotes & Books	0495-2358398
Chennai	Chennai Medical Book Centre	044-66246369
Chennai	Shah Medical Books	9444829937
Coimbatore	Arasu Medical Book House	9444308567
Coimbatore	Balaji Medical Books	0422-6725292
Coimbatore	Dass Medical Book Shop	9443958620
Cuttack	Scientific Book Depot	9437020414
Delhi	Mirza Book Depot	9958723206
Delhi	Pawan Book Service	9810202316
Delhi	R.S.Book Store	9810546759
Delhi	Sagar Book Depot	9811680722
Delhi	University Book Store	9818357577
Dhulea	Koshal Book Shop	9423916592
Gorakhpur	Medical Book Centre	9450884543
Gwalior	Anand Pustak Sadan	9425114555
Indore	New Jain Book Stall	9926636333
Indore	Scientific Literature Company	9826299744
Jabalpur	Lords Book Sellers	9425155125
Jabalpur	Akash Pustak Sadan	9826563047
Jaipur	Kumar Medical Book Store	9829610430
Jammu	Bhartiya Pustakalaya	9796636000
Jammu	Narend Book Depot	9419114398
Jamnagar	Jay Medical Book Centre	9925236982
Jodhpur	Book World	9829088088
Jorhat	Naveen Pustakalaya	9435514204
Kolhapur	Ajab Pustakalaya	9881424434
Kolkata	Raj Book House	9432550891
Kota	R.K.Stationers	9829087574
Koti Hyderabad	Osmani Medical Book House	040-64644253
Koti Hyderabad	Paras Medical Books Pvt Ltd.	040-24600869
Koti Hyderabad	Sharp Medical Book Centre	040-65544303
Lucknow	Aditya Medical Books Pvt Ltd.	0522-2611724
Lucknow	Arora Book Agencies	0522-4046778
Ludhiana	Verma Book Depot	9872202530
Madurai	Medical Books & International	9344101063
Meerut	City Book Centre	0121-4056292
Meerut	Menakshi Prakashan	0121-2645498
Meerut	R LAL Book Depot	0121-2666235
Mumbai	The National Book Depot	022-24131362
Mumbai	Vikas Medical Book House Pvt Ltd.	022-23010441
Mumbai	Bhalani Medical Book House	022-24171660
Nagpur	New Medical Book Shop	9822225591
Nagpur	Book Source	9850943011
Patna	Current Book Service	9431077745
Pune	J D Granth Bhandar	020-24492832
Raipur	S.K.Medical Book House	9329637397
Raipur	Sristhi Book Stationery Mart	9300855027
Rajkot	Jay Books Medical Book	9925236984
Ranchi	Student Book Depot	0651-2221907
Saharanpur	Hans Pustak Bhandar	9457449388
Sangli	Tanavade & Sons	9823049499
Sri Nagar	Doctors Dotkom	9086454647
Tirupati	Shri Venketswar Book Depot	9885479105
Trivandram	Professional Book House	9495951506
Varanasi	Atithi Medical Books	9307978423
Varanasi	Current Book Agency	9335015235
Visakhapatnam	Andhra Medical Book Centre	9985716032
Visakhapatnam	World Medical Book Centre	9849022192

ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा दुकानों पर की रेड, सैंपल लिए

फर्रूखाबाद: ड्रग इंस्पेक्टर ने क्षेत्र में कई दवा दुकानों पर छापेमारी कर दवाओं के सैंपल लिए हैं। जानकारी अनुसार औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने कई मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण के दौरान अभिलेखों की जांच-पड़ताल की। कई दवा दुकानदारों को कागजात में कमियां मिलने पर नोटिस सौंपे गए हैं।

दुकान पर नहीं मिला फार्मासिस्ट : ड्रग इंस्पेक्टर के मांगने पर मऊदरवाजा स्थित बाबा मेडिकल स्टोर का संचालक बिक्री अभिलेख नहीं दिखा सका। वहीं, दवा दुकान में सफाई की व्यवस्था भी उचित नहीं मिली। यहां से दो दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा बीबीगंज के बालाजी चिकित्सालय में खुले मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। यहां पर कोई फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं मिला। यहां पर भी बिना बिल के ग्राहकों को दवाइयां बेची जा रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों ही फर्म संचालकों को चेतावनी दी गई है कि बिक्री अभिलेख जरूर जारी करें। इन कमियों के चलते दोनों दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। दो दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने पर ही आगामी कार्रवई अमल में लाई जाएगी। औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल संचालकों को निर्देष दिए हैं कि वे मरीजों को बेची गई दवाओं का बिल अवश्य दें। इसकी अनदेखी परदवा दुकान का लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर ने क्षेत्र में कई दवा दुकानों पर छापेमारी कर दवाओं के सैंपल लिए हैं।

फार्मासिस्ट भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ा, जांच करने वाले भी हैरान

जयपुर (राजस्थान): प्राप्त समाचार के अनुसार फार्मासिस्ट भर्ती में भारी फर्जीवाड़े का मामला पकड़ में आया है। इस मामले की जांच करने वाले भी हैरान हैं। गौरतलब है कि राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। ड्रग कंट्रोलर ने 20 से अधिक टीमें बनाकर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और बाहर के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण कर आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की थी। जांच में हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। जांच में कुल एक हजार 115 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए हैं लेकिन 112 फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदेह के घेरे में आए हैं। वहीं, 301 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रियाधीन है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच का काम सौंपा था। इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई हैं। 10 यूनिवर्सिटी ने सर्टीफिकेट जारी नहीं करने की बात कही है। पांच यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट को संदेहास्पद माना है। जांच में सामने आया कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल और मेघालय की सीएमजे यूनिवर्सिटी ने 3 फार्मासिस्टों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए।

इसका पता चलने पर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दिए। रिपोर्ट में सामने आया कि एक अभ्यर्थी ने नंबर बढ़ाकर दस्तावेज पेश कर दिए। वहीं एक अन्य का हिमाचल की यूनिवर्सिटी में नाम सही नहीं मिला है। इसी तरह भोपाल की एक यूनिवर्सिटी ने बताया कि 3 अभ्यर्थियों की मार्कशीट उन्होंने दी ही नहीं है। मध्यप्रदेश के एक अभ्यर्थी ने सागर की एक यूनिवर्सिटी फेक मार्कशीट पेश कर दी। उड़ीसा की एक अभ्यर्थी की मार्कशीट को भी सही नहीं माना गया।

चार मेडिकल स्टोर पर रेड, गुणवत्ता खराब होने की आशंका में 12 दवाओं की बिक्री रोकी

रायबरेली: चार मेडिकल स्टोर पर रेड के दौरान कई दवाओं की गुणवत्ता खराब पाई गई है। इसके चलते 12 दवाओं की बिक्री रोक दी गई है। दवा निरीक्षक ने पांच दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण के दौरान लालगंज और बछरावां क्षेत्र के चारों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिया है और सात दिन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है।

दवा निरीक्षक शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दवा दुकानों पर जांच की गई थी। यहां दवाओं की गुणवत्ता खराब पाई गई है। बछरावां के लक्ष्य मेडिकल स्टोर और कृष्णा मेडिकल स्टोर से एक-एक दवा का सैंपल लिया है। दोनों दुकानों से पांच संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। मेडिकल स्टोरों पर कई खामियां मिलने से संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसके अलावा लालगंज में न्यू नरेंद्र मेडिकल स्टोर से तीन दवाओं के सैंपल लेकर चार दवाओं की बिक्री रोक दी, जबकि नरेंद्र मेडिकल स्टोर से एक दवा का सैंपल लेकर तीन दवाओं की बिक्री रोक दी है। इन दुकानों में भी कमियां मिलने पर संचालकों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब आने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चार मेडिकल स्टोर पर रेड के दौरान कई दवाओं की गुणवत्ता खराब पाई गई है।

गर्भवती महिलाओं को मिर्गी की दवा टोपिरामेट के इस्तेमाल की इजाजत नहीं

नई दिल्ली: गर्भवती महिलाओं को मिर्गी की दवा टोपिरामेट का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। यूके मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (एमएचआरए) टोपिरामेट के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। एक अध्ययन में बताया गया है कि जिन माताओं ने गर्भावस्था के दौरान दवा ली थी, उनके बच्चों में न्यूरोडेवलपमेंटल विकलांगता का खतरा बढ़ गया है। एमएचआरए को दवा सुरक्षा अद्यतन नोटिस के साथ जुलाई 2022 में टोपिरामेट की सुरक्षा समीक्षा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जेएएमए न्यूरोलॉजी में प्रकाशित अवलोकन अध्ययन से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान टोपिरामेट लेने वाली माताओं से पैदा होने वाले बच्चों में बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और ध्यान घाटे की सक्रियता विकार (एडीएचडी) का जोखिम कई गुना अधिक होता है। बता दें कि टोपिरामेट एक सामान्य दवा है और इसे टोपामैक्स व अन्य ब्रांड नाम से बेचा जाता है। इसका इस्तेमाल मिर्गी के इलाज और माइग्रेन को रोकने के लिए किया जाता है।

अवैध एस्कफ कफ सिरप की 1,670 बोतलें बरामद, आरोपी फरार

त्रिपुरा: प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध एस्कफ कफ सिरप की 1,670 बोतलें बरामद किए जाने का मामला सामने आया है। यह कार्यवाही सोनामुरा पुलिस ने पश्चिम त्रिपुरा में स्थित कुलुबारी गांव में अनवर हुसैन के घर पर की। बरामद कफ सिरप की बाजारी कीमत लगभग 7 लाख रुपये आंकी गई है। इस मामले का मुख्य आरोपी अनवर हुसैन मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने अनवर हुसैन की तलाश शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि वे ऐसी कोई भी जानकारी दें जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके। इस बीच, सोनमुरा पुलिस स्टेशन के एसआई तपन दास ने छापेमारी की जानकारी देते हुए कहा, "हमने कुलुबारी में अनवर हुसैन के घर पर छापा मारा।

इस कार्यवाही में 1670 बोतलें एस्कुफ जब्त की गईं, जिसका बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपये है. उन्होंने कहा कि इस मामले का मुख्य संदिग्ध अनवर हुसैन भागने में सफल रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हम अपने समुदाय से अवैध पदार्थों के खतरे को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए दृढ़ हैं। यह जब्ती नशा मुक्त समाज के लिए हमारे अथक प्रयास का प्रमाण है." अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह पहले भी बामुतिया पुलिस ने त्रिपुरा के रंगुटिया इलाके से एस्कुफ की 75 बोतलें सफलतापूर्वक जब्त की थीं। नारायण दास के आवास पर की गई छापेमारी में अवैध कफ सिरप बरामद हुआ। हालांकि ऑपरेशन के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अधिकारी 12 जून को पास के जंगल से प्रतिबंधित पदार्थ की 75 बोतलें खोजने और जब्त करने में सफल रहे. यह ऑपरेशन प्रभारी अधिकारी स्लैंथनी जमातिया के नेतृत्व में हुआ था।

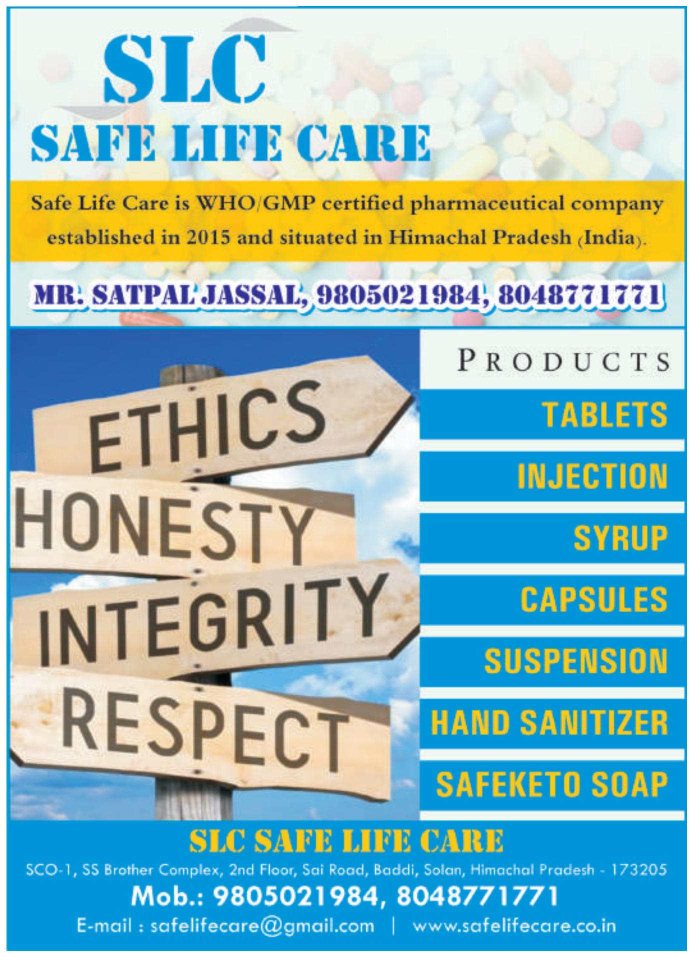

जांच में नकली मिला इस दवा का सैंपल

मैनपुरी (उप्र)। लैब जांच में दवा का सैंपल फेल पाया गया है। संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस भेजा गया है। दवा का यह सैंपल घिरोर के मेसर्स न्यू राहुल मेडिकल स्टोर से लिया गया था। औषधि निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि बीते दिनों मेसर्स न्यू राहुल मेडिकल स्टोर घिरोर से प्रतिबंधित दवा आॅक्सीटोसिन वेटरनरी का सैंपल लिया गया था।

नशीली दवा अवैध रूप से ले जा रहे 2 युवक बाइक सहित अरेस्ट, भेजे जेल

अनूपपुर: नशीली दवा को अवैध रूप से ले जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दवा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक भी जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने रामनगर थाना अंतर्गत अनूपपुर की ओर से नशीली दवा लेकर आ रहे दो युवको को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 290 नग टैबलेट के 29 पत्ते कुल 2900 एमजी के साथ बरामद किए हैं। आरोपियों की बाइक को भी जब्त कर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दोनों आरोपयिों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उप निरीक्षक थाना रामनगर श्यामलाल मरावी ने बताया कि दो युवक 39 वर्षीय दीपक पाल पुत्र राकेश पाल एवं 27 वर्षीय दुर्गा प्रसाद उर्फ मोहन कोल पुत्र लालमन कोल 27 वर्ष निवासी राजनगर अनूपपुर की ओर से नशीली दवाएं लेकर आ रहे थे। इनके बारे में सूचना मिलने पर केरहा नाला के पास पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपियों की तलाशी ली गई और उनके कब्जे से कब्जे से 290 नग टैबलेट 29 पत्ते कुल 2900 एमजी बरामद कर ली। उनकी बाइक को भी कब्जे में ले लिया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 8बी 21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।

औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर पर की रेड, 23 दवाइयां जब्त

बल्लभगढ़ (हरियाणा): प्राप्त समाचार के अनुसार औषधि विभाग ने सूचना एनआईटी 5 नंबर स्थित ब्लिंकिट स्टोर पर रेड की है और मौके से 23 दवाइयों को जब्त किया है। विभाग ने यह कार्रवाई मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से दवाइयां बेचे जाने की शिकायत मिलने पर की। जानकारी अनुसार जिला औषधि नियंत्रक संदीप गहलान और प्रवीन राठी की टीम को मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से दवाइयां बेचे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के चलते टीम ने संबंधित एनआईटी-5, रेलवे रोड स्थित ब्लिंकिट स्टोर पर छापेमारी की। बताया गया कि टीम ने छापेमारी से पहले दो एलोपैथिक दवाओं और दो खाद्य पदार्थों का एक ऑनलाइन ऑर्डर कार्यालय पर किया। थोड़ी देर के बाद ही टीम को क्रोसिन एडवांस और डिस्प्रिन टेबलेट की डिलीवरी दो खाद्य पदार्थों के साथ मिल गई। लेकिन इन दवाओं का कोई भी बिल नहीं भेजा गया था। डिलीवरी ब्वॉय ने बताया कि वह एनआईटी-5 रेलवे रोड पर स्थित ब्लिंकिट स्टोर से आया है।

ब्लिंकिट ऐप पर ही मिले ऑनलाइन चालान : डिलीवरी ब्वॉय से पूछताछ करने पर ऑनलाइन चालान ब्लिंकिट ऐप पर ही मिल गए। जांच में पता चला कि ब्लिंकिट स्टोर फर्म यानी खाद्य सामग्री की बिक्री बिगवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा 90 मिनिट्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड न्यू डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद द्वारा दवाओं की बिक्री की जाती है। उसके पास थोक विक्रेता का लाइसेंस है। समस्त जानकारी जुटा लेने के बाद औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने दवा स्टोर पर छापेमारी की। जांच में मेडिकल स्टोर पर अनुसूचित दवाओं सहित 23 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं मिलीं। जब दवाओं का लाइसेंस मांगा गया तो मौजूद कर्मी लाइसेंस नहीं दे पाया। इसके चलते टीम ने स्टोर पर सभी 23 प्रकार की दवाओं को जांच के लिए जब्त कर लिया है।

"दोषी को निर्दोष बताने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जाए" -चाणक्य

स्वास्थ्य विभाग का छापा, 7 हॉस्पिटल सील

पसगवां। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे सात अस्पतालों को सील कर दयिा है। सीलिंग की कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हडकंप मच गया। नोडल अधिकारी डॉ. निशांत गुप्ता ने टीम के साथ ब्लॉक क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान सात अवैध अस्पतालों को सील कर दिया गया। टीम ने जंगबहादुरगंज बाइपास पर संचालित शाहिद पाली क्लीनिक का निरीक्षण किया। वहां दो मरीज भर्ती मिले। यहां न तो अस्पताल का पंजीकरण मिला और न डॉक्टर थे। यहां भर्ती मरीजों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। क्लीनिक को सील कर दिया गया। बरखेरियाजाट में लखनऊ क्लीनिक का निरीक्षण करने पर संचालक पंजीकरण के अभिलेख नहीं दिखा सका। अमित कुमार कनौजिया के नर्सिंग होम में न बोर्ड था न डॉक्टर और न ही पंजीकरण था। मैगलगंज में यादव पाली क्लीनिक का न पंजीकरण मिला न डॉक्टर मिले, जबकि ओपीडी संचालित की जा रही थी। इसके अलावा, पारस हॉस्पिटल का न पंजीकरण मिला और न चिकित्सक मिले। जहान नगर पेट्रोल पंप के पास एक क्लीनिक संचालित मिला। इस अस्पताल का भी रजिसट्रेशन नहीं मिला और न ही चिकित्सक उपस्थित थे। यहां चार बेड मिले। नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी अवैध अस्पताल सील कर दिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जा रही है।

एआईओसीडी ने सामान्य दुकानों पर ओटीसी दवा बिक्री पर जताया विरोध

देश भर में 12.40 लाख से अधिक दवा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ने कानूनी चिंताओं का हवाला देते ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दवा बिक्री की अनुमति देने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्तावित कदम का कड़ा विरोध किया है। जो कि उल्लंघन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम और दुरुपयोग की संभावना का संकेत है। ओटीसी दवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास में, सामान्य और किराने की दुकानों पर ऐसी दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव ने हितधारकों के बीच गर्म बहस छेड़ दी है। एआईओसीडी का तर्क है कि यह प्रस्ताव 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1948 के फार्मेसी एक्ट और 2015 के फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का उल्लंघन करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उचित लाइसेंस और फार्मासिस्ट पर्यवेक्षण के बिना दवाएं बेचना मौजूदा कानूनों का उल्लंघन होगा, जिसका उद्देश्य औषधियों का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करना है। सामान्य और किराने की दुकानों पर फार्मासिस्ट परामर्श सेवाओं की अनुपस्थिति अपर्याप्त दवा प्रबंधन और स्व-दवा त्रुटियों की संभावना के बारे में आशंकाएं पैदा करती है। एआईओसीडी चिकित्सीय सलाह प्रदान करने, उचित खुराक सुनिश्चित करने और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं को कम करने में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

जुलाई माह के व्रत एवं त्यौहार

01.07.2024	डाक्टर्स डे
06.07.2024	गुप्त नवरात्र
10.07.2024	स्वामी विवेकान्द स्मृतिदिवस
11.07.2024	जन्संख्यादिवस
17.07.2024	एकादशी
17.07.2024	मोहर्रम
21.06.2024	गुरू पूर्णिमा
23.07.2024	चंद्रशेखर आजाद जयंती
31.07.2024	एकादशी

फर्जी सर्टिफिकेट बना डॉक्टरों ने क्लीनिक खोले, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

झुंझुनूं: प्राप्त समाचार के अनुसार फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सात डॉक्टरों द्वारा क्लीनिक खोले जाने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। इन अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) ने प्रदेश के 10 डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन सभी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, जिन्होंने नेशनल मेडिकल काउंसिल की परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। वहीं महिला की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकालने के मामले में डॉ. संजय धनखड़ का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया है। दरअसल, बुधवार को राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी।

इस मीटिंग में अलग-अलग केस रखे गए थे। इसमें से 10 डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 25 केस रखे गए। इनमें से 10 केस में डॉक्टर का आरएमसी ने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है। इन 10 डॉक्टर में से 8 डॉक्टर ऐसे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए कैंसिल किया गया है, जबकि 2 डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। झुंझुनू में महिला मरीज की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकालने के मामले में डॉ. संजय धनखड़ का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए कैंसिल किया गया है। झुंझुनूं कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने चिकित्सा विभाग को पत्र लिखा था, जिसमें आरएमसी के संज्ञान में यह मामला लाकर डॉ. धनखड़ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सिफारिश की थी। वहीं, धनखड़ हॉस्पिटल को सीज करने के साथ ही अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया था। किडनी कांड की जांच के लिए कलेक्टर ने 5 डॉक्टरों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जांच में डॉ. संजय धनखड़ को दोषी माना है। जांच में सामने आया कि डॉ. संजय धनखड़ जनरल सर्जन है। किडनी का ऑपरेशन करते वक्त वहां नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद होना चाहिए था।

शुगर और मोटापे के लिए ओजेम्पिक जैसी दवाएं बनाएगा भारत

बेंगलुरु: प्राप्त समाचार के अनुसार शुगर और मोटापे के लिए ओजेम्पिक जैसी लोकप्रिय दवाएं अब भारत में ही बनेंगी। बताया गया है कि भारत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 2026 से पेप्टाइड दवाएं ग्लूकागन जैसी पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट (जीएलपी-1आरए) का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि जीएलपी-1आरए अग्न्याशय में जीएलपी-1 रिसेप्टर्स को सक्रिय करके काम करताच है। इसके परिणामस्वरूप इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है और ग्लूकागन का स्राव कम हो जाता है। बता दें कि जीएलपी-1 श्रेणी की एंटी-डायबिटिक दवाएँ हाल ही में अपने ऑफ-लेबल उपयोग और कमी के कारण चर्चा में रही हैं। भारी मांग के चलते नकली दवाइयां भी खुलेआम बिक रही हैं। दरअसल, ये दवाएँ वजन घटाने में सहायक होती हैं, इसलिए ऑफ-लेबल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क जैसे इनोवेटर अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में, लिली ने कहा कि वह विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए +5.3 बिलियन का निवेश करेगी। नोवो नॉर्डिस्क ने भी कहा है कि वह उत्तरी कैरोलिना में एक फिल-एंड-फिनिश प्लांट बनाने के लिए +4.1 बिलियन खर्च करेगी। डेनिश दवा निर्माता की भी ओजेम्पिक (मधुमेह), वेगोवी (मोटापा) बनाने की योजना है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) के सचिव अरुणीश चावला का कहना है कि 2026 के आसपास इन दवाओं का पेटेंट समाप्त हो जाएगा। स्थानीय दवा उद्योग इन दवाओं के उत्पादन पर पहले से ही काम कर रहा है। जल्द ही पीएलआई योजना के तहत भारत में जीएलपी-1आरए दवाएं बनाई जाएंगी।

4 वर्ष तक घर बैठे यह समाचार पत्र पढ़ने के लिये हमारे पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 1824002100120081, IFSC Code - PUNB0145020 जो कि मैडीकल दर्पण के नाम से है, में रू० 500/- जमा कर अपना पूरा पता हमारे फोन नं०- 09045029158 पर SMS कर दें।

लाइसेंस नोटिस का जवाब नहीं देने पर मेडिकल स्टोर सस्पेंड

कटनी (मप्र): प्राप्त समाचार के अनुसार मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नोटिस का जवाब नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने पर माधवनगर स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अजय मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं देने से औषधि प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने अजय मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबन अवधि में मेडिकल स्टोर पूर्णतः बंद रखने एवं दवाओं की खरीद व बिक्री पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मनीषा धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिले के मेडिकल स्टोर के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। इसी क्रम में जीवन ज्योति हॉस्पिटल, माधवनगर गेट के सामने स्थित अजय मेडिकल स्टोर के बारे में शिकायत दी कि ग्राम गुलवारा निवासी हार्ट के मरीज नंदलाल बर्मन को जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अजय मेडिकल द्वारा एक्सपायरी दवा दी। इस दवा के सेवन से मरीज का स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत मिली शिकायत मिलने पर औषधि निरीक्षक जिला कटनी ने 27 मई 2024 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल स्थित मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर की जांच की और फार्मासिस्ट अजय जैन ने शिकायत के साथ संलग्न इस्टीमेट बिल पर तिथि अंकित नहीं होने तथा उनकी दुकान का है या नहीं, उन्हें याद नहीं होने होने की बात कही। जांच में यह भी पाया गया कि दुकानदार ने मरीज नंदलाल बर्मन को दवाइयों का कोई बिल भी नहीं दिया। जांच के समय प्रो. अजय जैन को कुछ औषधियों के खरीद व बिक्री का रिकार्ड दो दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया। बिलों की जांच करने के बाद यह पाया गया कि कुछ औषधियों के विक्रय बिल ओवर राइटिंग करके सुधारे गये हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के नियम 65(4) का उल्लंघन पाये जाने के संबंध में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कटनी ने नोटिस भेजकर प्रो. अजय जैन से स्पष्टीकरण मांगा था। नोटिस का उचित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अजय मेडिकल स्टोर को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति को दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन के काले कारोबार का पर्दाफाश, दो युवक Arrest

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन लगाकर पशुओं में दूध बढ़ाने के अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ है। वजीराबाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोनिया विहार के शिवम (19) और फिरोज (50) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन के ढाई लीटर वाली 200 बोतलें, कच्चा माल, केमिकल और पैकिंग का सामान बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली के कई डेयरी संचालकों को ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन की बोतलें सप्लाई करते थे। डेयरी वाले ज्यादा दूध पाने के लिए गाय-भैंसों को यह इंजेक्शन लगाते हैं। नॉर्थ डीसीपी मनोज कुमार मीना ने बताया कि एक याचिकाकर्ता की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी में ऑक्सिटोसिन के इस्तेमाल की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किया था। पुलिस, कोर्ट कमिश्नर और बाकी लोगों की टीम ने झड़ौदा डेयरी कॉलोनी में छापेमारी की। वहां एक डेयरी से ऑक्सिटोसिन की चार बोतलें मिलीं। डेयरी मालिक सुरेंद्र उर्फ सुंदर को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका नौकर प्रदीप ऑक्सिटोसिन लाता था। वह फोन बंदकर गायब है। पुलिस ने सीडीआर के आधार पर जांच शुरू की। पता चला कि सोनिया विहार निवासी शिवम ऑक्सिटोसिन सप्लाई करता है। पुलिस ने शिवम को सोनिया विहार से दबोच लिया। आरोपी ने बताया कि वह ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन की बोतलें अपने घर पर तैयार करता है। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में ऑक्सिटोसिन की बोतलें, केमिकल और बाकी सामान बरामद कर लिया। शिवम ने बताया कि उसे कच्चा माल फिरोज नाम का युवक सप्लाई करता है। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज को दबोच लिया। फिरोज ने बताया कि उसे राकेश ऑक्सिटोसिन बनाने के लिए कच्चा माल सप्लाई करता है। इसे वह आगे बेच देता है। पुलिस राकेश की तलाश कर रही है।

ऑक्सिटोसिन दूध से नुकसान : गाय व भैंस आदि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से पशु पालक ऑक्सिटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इनसे दूध का इस्तेमाल करने पर कई प्रकाश के रोग होने की संभावना तेज हो जाती है। उदाहरणतया, एलर्जी होने से खुजली और सूजन बढ़ती है। इसके अलावा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट से जुड़ी दिक्कतें और हार्मोनल बैलेंस बिगडने का डर भी बना रहता है। वहीं, इन इनजेक्शन से मवेशियों की भी सेहत खराब होती है। ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन लगाकर पशुओं में दूध बढ़ाने के अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ है। वजीराबाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एंटीबायोटिक इंजेक्शन बायोटैक्स की बिक्री पर नेपाल में लगी रोक

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर पड़ोसी देश नेपाल में रोक लगने का समाचार है। नेपाल के औषधि प्रशासन विभाग ने भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित एंटीबायोटिक इंजेक्शन बायोटैक्स की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। नेपाल प्रशासन का कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनी जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा निर्मित बायोटैक्स 1 ग्राम बैच 300460 दवा का उत्पादन विनिर्देशों के अनुरूप नहीं किया था। राष्ट्रीय औषधि नियामक संस्था की प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान इस बात का पता चला है। विभाग के प्रवक्ता प्रमोद केसी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रवक्ता केसी के अनुसार निर्माता कंपनी, आयातकों और वितरकों को अगले आदेश तक उक्त दवा की बिक्री, आयात और वितरण को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षण से पता चला है कि इस दवा का इस्तेमाल मरीजों की जान को खतरा में डाल सकता है। इस दवा पर प्रतिबंध से कोई असर नहीं पड़ेगा। अन्य दवा कंपनियों की समान संरचना वाले इंजेक्शन भी बाजार में उपलब्ध हैं। बता दें कि बायोटैक्स 1 ग्राम इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क, फेफड़े, कान, मूत्र पथ, त्वचा, कोमल ऊतकों, हड्डियों और जोड़ों, रक्त और हृदय सहित जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है

बायोटैक्स आईजीएम (Biotan IGM) एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। बैच नंबर 300460, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 05-2023 और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2025 है, को काठमांडू में डीकेएम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित किया गया था। इसका निर्माण दमन यूटी में जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि नेपाल में इससे पहले भी भारत के एमडीएच और एवरेस्ट मसालों पर मिलावट की खबरें सामने आने के बाद प्रतिबंध लगा चुका है।

डायबिटीज, हृदय रोग समेत 54 दवाओं के रेट हुए कम, मिलेगी राहत

नई दिल्ली: डायबिटीज, हृदय रोग समेत 54 दवाओं के दाम सरकार ने कम कर दिए हैं। इससे आमजन को काफी राहत मिल सकेगी। बता दें कि सरकार ने डायबिटीज, हृदय रोग के अलावा कान की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और मल्टीविटामिन जैसी महत्वपूर्ण 54 दवाइयों के दाम घटा दिए गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) की बैठक में कई प्रमुख दवाओं की कीमतें कम करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि एनपीपीए उन आवश्यक दवाओं के मूल्य तय करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे आम जनता इस्तेमाल करती है। इस बैठक में 54 दवा फॉर्मुलेशन और 8 विशिष्ट दवाओं की कीमतें कम करने का अहम फैसला लिया गया। एनपीपीए की बैठक में जिन 54 दवाओं की कीमतें कम की गई हैं, उनमें डायबिटीज, हृदय रोग, एंटीबायोटिक, विटामिन डी, मल्टीविटामिन और कान की दवाएं शामिल हैं। दरअसल यह आम दवाएं रोजाना कई लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने 8 विशिष्ट उत्पादों की कीमतों का भी निर्धारण किया है। इस फैसले के बाद, इन दवाओं की नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने ही कई महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में कटौती की थी। पिछले महीने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 विशिष्ट दवाओं की कीमतें कम कर दी गई थीं। एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, डायबिटीज और हृदय रोग की दवाओं की कीमतों में भी कमी की गई थी। इसके अलावा, लीवर, गैस, एसिडिटी, दर्द निवारक और एलर्जी की दवाएं भी सस्ती की गई थीं। दवाओं के दाम कम करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। इससे न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि लोग अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को बिना किसी वित्तीय तनाव के पूरा कर सकेंगे।

अवैध क्लीनिक सील होने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार

चम्बा (हप्र): अवैध क्लीनिक पर औषधि विभाग की रेड के बाद आरोपी डॉक्टर फरार हो गया है। मामला चुराह विधानसभा क्षेत्र में बिना लाइसेंस चला जा रहे क्लीनिक का है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर किराए के मकान में रहता था और वह मकान छोडकर वहां से भाग गया। औषधि विभाग को चुराह क्षेत्र में बिना लाइसेंस के क्लीनिक संचालित किए जाने की शिकायत मिल रही थी। यहां मरीजों का इलाज करने के साथ ही उन्हें अवैध रूप से दवाइयां भी बेची जाती थी। डॉक्टर के पास क्लीनिक संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग का कोई लाइसेंस नहीं था और न ही दवा बेचने के लिए उसके पास ड्रग लाइसेंस था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दवा निरीक्षक से की।

दवा निरीक्षक ने संबंधित क्लीनिक पर छापेमारी कर दी। यहां जांच करने पर डॉक्टर के पास क्लीनिक चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं मिला। इसके चलते दवा निरीक्षक ने क्लीनिक को सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर लवली सिंह ने क्लीनिक पर मरीजों को दी जा रहीं दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल भी लिए। आगामी कार्रवाई के लिए जब दवा निरीक्षक डॉक्टर से मिलने के लिए उसके मकान पर पहुंचे तो पता चला कि वह मकान खाली कर फरार हो चुका है। इससे स्प्ष्ट था कि वह विभागीय कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहा है। दवा निरीक्षक लवली सिंह ने बताया कि बिना लाइसेंस क्लीनिक चलाने वाला डॉक्टर अपना क्वार्टर छोड़ कर भाग गया है, लेकिन उनके पास उसका स्थायी पता है। जल्द ही उसके स्थाई पते पर जाकर विभागीय कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

निजी अस्पताल को अनियमितताएं बरतने पर किया सील, सीएमओ व डिप्टी सीएमओ सस्पेंड

चरखी दादरी: प्राप्त समाचार के अनुसार निजी अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने की गाज गिरी है। लोहारू रोड स्थित जयहिंद अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन सीएमओ व डिप्टी सीएमओ को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कार्रवाई के विरोध की आशंका के चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। इस मामले में कार्य के प्रति लाप. रवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन सीएमओ और डिप्टी सीएमओ को सस्पेंड किया गया है। जानकारी अनुसार वर्ष 2020 में एक मरीज ने चरखी दादरी के निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था।

दो साल बाद उसने दिल्ली के एम्स अस्पताल में जांच करवाई तो पेट में गॉज (पट्टी) होने की बात पता चली। इसके बाद मरीज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष इसकी शिकायत की। इस पर संज्ञान लेकर सीएम ने रोहतक पीजीआई के चिकित्सकों का बोर्ड बनाकर जांच करवाई। बाद में पीड़ित मुख्यमंत्री से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के आदेश दिए। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मरीज के दूसरे ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के चिकित्सक की ओर से चूक होने का अंदेशा जाहिर किया गया। इसके अलावा, आयुष्मान योजना में भी अस्पताल के फर्जीवाड़ा करने के तथ्य सामने आए और इस आधार पर अस्पताल को आयुष्मान पैनल से हाल ही में बाहर किया गया है। महानिदेशक के आदेश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने दो टीमें गठित की और देर रात जयहिंद अस्पताल में छापा मारा। अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने की गाज गिरी है। लोहारू रोड स्थित जयहिंद अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान अस्पताल में 18 मरीज भर्ती मिले, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया।

बेस्ट प्राइस फार्मेसी से बेचे गए इंसुलिन इंजेक्शन नकली मिले

जबलपुरद्य बेस्ट प्राइस फार्मेसी से बेचे गए इंसुलिन इंजेक्शन की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। रसल चौक स्थित इस दुकान से इंजेक्शन बेचने वाले एक उपभोक्ता ने दवा को प्रभावहीन बताने की शिकायत दी। मामला संज्ञान में आने पर औषधि प्रशासन विभाग ने दुकान पर दबिश दी। औषधि निरीक्षक ने मौके से दवा दुकान में रखे इंसुलिन इंजेक्शन के 13 नग जब्त कर लिए हैं। रात के समय दवा दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे औषधि निरीक्षक को प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी मिली है। बार कोड स्कैन करके देखने पर उपभोक्ता की शिकायत प्रथम दृष्टतया सही पाई गई है। दवा दुकानदार से संबंधित इंसुलिन इंजेक्शन की खरीद व बिक्री की जानकारी मांगी गई है। वहीं, दवा भंडारण के मानकों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

औषधि विभाग अधिकारी के अनुसार संबंधित दवा निर्माता कंपनी और उसकी सप्लाई करने वाले थोक व्यापारी से भी मामले में जानकारी ली जा रही है। राज्य प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल औषधि विभाग ने संबंधित बैच के इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता अनुराग यादव ने बताया कि वह शुगर रोगी है। इसके लिए वह इंसु. लिन के इंजेक्शन लेता है। बीते माह उसने रसल चौक स्थित बेस्ट प्राइस फार्मेसी से इंसुलिन इंजेक्शन खरीदा था। इस इंजेक्शन के प्रयोग के बाद उसके शरीर में मुधमेह का स्तर बढ़ गया। लगातार इस्तेमाल के बाद उसके मुंह में छाले पडने लगे। इस बीच दवा की जानकारी जांचने के लिए बारकोड स्कैन किया तो उत्पाद के बारे में जनरल परपस क्लीनर लिखा आया। तब उसने औषधि विभाग को इसकी शिकायत दी।

4 वर्ष तक घर बैठे यह समाचार पत्र पढ़ने के लिये हमारे पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 1824002100120081, IFSC Code - PUNB0145020 जो कि मैडीकल दर्पण के नाम से है, में रू० 500/- जमा कर अपना पूरा पता हमारे फोन नं०- 09045029158 पर SMS कर दें।

नकली हर्बल दवाइयां बेचने वाला गिरोह पकड़ा, 11 Arrest

गुडगांव: प्राप्त समाचार के अनुसार नकली हर्बल दवाइयां बेचने के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़ी 4 युवतियों सहित 11 लोगों को अरेस्ट किया है। ये लोग हर्बल दवाओं के नाम पर लोगों से रुपए ट्रांसफर कराकर उनसे ठगी करते थे।

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक फर्जी कॉल सेंटर पर रेड की। सेंटर से कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मध्य प्रदेश के रहने वाले श्याम दूबे, दिल्ली निवासी आदर्श कुमार सिंह, गुडगांव के रहने वाले कुशल रोहिल्ला, बदायूं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले पीयूष चौहान, फरीदाबाद निवासी विवेक चोपड़ा, बिहार निवासी गुलशन कुमार, दिल्ली के रहने वाले राजकुमार, जयपुर की रहने वाली पूजा चौहान, भिवानी निवासी भावना, मध्यप्रदेश निवासी अनामिका तथा दिल्ली निवासी प्रिया शर्मा के नाम शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपने एक अन्य साथी के कहने पर हर्बल सेक्सुअल दवाएं ऑनलाइन बेचने के नाम पर गूगल पर विज्ञापन देते थे। इस विज्ञापन में दिए गए नंबरों पर जब लोग उनसे संपर्क करते तो वह उनसे अलग-अलग बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर करा लेते। जीएसटी, पैकिंग चार्ज, कोरियर चार्ज के नाम पर भी उनसे रुपए ऐंठे जाते थे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रत्येक को 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था। वहीं, ठगी की रकम में से भी 5 प्रतिशत कमीशन मिलता था। आरोपी पिछले करीब एक साल से इस काले धंधे से जुड़े हुए थे। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल, सिम कार्ड, 2 सीपीयू बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्यवाही में जुटी है।

एलोपैथिक दवा देकर मरीजों का इलाज करता यूनानी डॉक्टर गिरफ्तार

रोहतक: प्राप्त समाचार के अनुसार एलोपैथिक दवा से मरीजों का इलाज करने के आरोपी यूनानी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लाखनमाजरा थाने में आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। मुख्यमंत्री उडनदस्ते ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर रोहतक के गांव बैंसी में छापा मारा। यहां से एलोपैथिक दवाइयों से मरीजों का इलाज करने के आरोप में यूनानी डॉक्टर को अरेस्ट किया है। लाखनमाजरा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 34 व आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोपी डॉक्टर सत्यवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। एसएमओ डॉक्टर संदीप ने बताया कि मुख्यमंत्री उडनदस्ते की टीम के साथ उनकी ड्यूटी लगी। शिकायत मिली थी कि बैंसी गांव में अजायब निवासी सत्यवान बिना डिग्री के मरीजों का इलाज कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। जांच में क्लीनिक के अन्दर 2 बेड मिले। इसके चलते संयुक्त टीम ने बैंसी में सत्यवान के क्लीनिक पर दबिश दी। जब सत्यवान से क्लीनिक चलाने व इलाज करने के संबंध में कागजात मांगे तो उसने राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा परिषद (बिहार) का प्रमाण पत्र दिखाया। प्रमाण पत्र का पंजीकरण नंबर 4477, दिनांक 27-11-2006 पाया गया। जांच में क्लीनिक के अन्दर 2 बेड मिले। इनमें एक के ऊपर खाली ग्लूकोज की बोतल टंगी हुई थी। एलोपैथिक दवा से मरीजों का इलाज करने के आरोपी यूनानी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने किया अरेस्ट : टीम को क्लीनिक पर सत्यवान एलोपैथिक दवाइयों के साथ मरीजों का इलाज करता हुआ मिला। मौके पर चिकित्सा उपकरणों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाई भी पाई गई। पूछताछ में सत्यवान ने बताया कि उसने यह जगह कश्मीरी लाल से 500 रुपये में किराये पर ले रखी है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। एलोपैथिक दवाइयों से मरीजों का इलाज करने के आरोप में यूनानी डॉक्टर को अरेस्ट किया है।

दवा मोक्सफेथ और मोक्सवेरी के सैंपल मिले फेल, रहें अलर्ट

नोएडा: दवा मोक्सफेथ और मोक्सवेरी के सैंपल फेल पाए गए हैं। फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने बीते दिनों दो मेडिकल स्टोरों से दो दवाओं के सैंपल लिए थे। इन दोनों दवाओं की जांच रिपोर्ट अब मिली है। रिपोर्ट में मोक्सफेथ और मोक्सवेरी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। आमजन को इन दवाओं के सेवन के बारे में सचेत किया गया है कि दवा नुकसानदायक हैं। ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने जानकारी दी कि घटिया दवाइयां बनाना व बेचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 का उल्लंघन है और धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के बाद मोक्सफेथ टैबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और मोक्सवेरी टैबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरिटास हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ केस दर्ज कराया।

दवा फैक्ट्री में आग लगने से चार कर्मचारी जिंदा जले

अलवर: प्राप्त समाचार के अनुसार दवा फैक्ट्री में आग लगने से चार कर्मचारियों के जिंदा जल जाने का सनसनीखेज समाचार है। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की दवा और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई थी। चार कर्मचारियों के जले हुए शव मिले हैं। आग से 12 अन्य कर्मचारी भी झुलस गए हैं। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमकल की दस गाडियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी अनुसार भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वर्तिका केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग लगी थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने से कम्पनी में भगदड़ मच गई। तेज धमाके के साथ आग लगी थी। आग लगने से कम्पनी में धुआं-धुआं हो गया था। माना जा रहा है कि धुएं के कारण कर्मचारी बेहोश हो गए और चार कर्मचारी जिन्दा जल गए। शव मलबे में दबे और जले हुए मिले हैं। खुशखेड़ा थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई हैं। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जायेगा। सभी मृतक अन्य राज्यों के निवासी हैं। इनके अलावा आग से 12 अन्य कर्मचारी भी झुलस गए हैं। ये अस्पताल में भर्ती किए गए हैं।

BADRIVAS BIOTECH PVT. LTD.
Khasra No. 10 & 11 Village. Makkhanpur Bhagwanpur
Roorkee-247661, Dist. Haridwar (Uttarakhand)
New Formulations | Neutraceutical, Cosmetic | Diabetic | Cardiac | Neuro | Psychiatric
Approved Section
Tablets | Capsules | Liquid | Ointment | Nutraceuticals
We have more than 1500 Approved Molecules
Welcome for small batches, Third Party Manufacturing, PCD & Export facility available.
Contact No. :- +91 72538 01212 , +91 72538 11212,
Email :- badrivasindia@gmail.com | www.badrivasbiotech.com

औषधि विभाग ने की रेड, दवा दुकानदारों में मचा हड़कंप

ज्ञानपुर, भदोही (उप्र): औषधि विभाग ने नकली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की है। इससे दवा दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर संचालकों को चेताया कि अवैध दवाओं का भंडारण न करें। इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक कुमार सौमित्र ने अपनी टीम के साथ औराई और महरा. जगंज समेत कई स्थानों पर दवा दुकानों की जांच की। दुकानों पर संदिग्ध लगने वाली आठ दवाइयों के सैंपल लिए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दवा निरीक्षक ने बताया कि विभाग अवैध दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रहा है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अगर कहीं भी नकली और प्रति. बंधित दवा बिक्री हो तो तत्काल विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि महंगे दाम पर दवा बेचने वालों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।

भूख बढ़ायें, ऊर्जा बढ़ायें मूड को सुधारें, तनाव कम करें याद्दाश्त बढ़ायें
A WHO-GMP ISO 9001:2015 certified company
Multivitamin, Multimineral & Antioxidant Syrup
MULTIMIK Plus
MIKAYLA LIFE SCIENCES
PLOT NO. 309, INDUSTRIAL AREA, PHASE 2, PANCHKULA (HR)
(M) 9915501900
sales@mikayla.in www.mikaylalifesciences.com

Unleash Your Potential
Partner with us as a PCD Franchisee or Pharma Distributor
PCD PHARMA FRANCHISE
Business Opportunity Pan India
Qscent Puregaba ET | Aarfenac DM | Raptura | Rozep Trio
Contact: +91 9416070290
Aaryan Healthcare Pvt. Ltd.
Committed for healthier and better life
(An ISO 9001:2008 Certified Co.)
Email: healthcare.aaryan@gmail.com

Franchise Skin Specialist Products
A Fastest Growing Derma Company With Latest Products........
150 Franchisee All India
e-derma Pharma India Pvt. Ltd.
More than 200 Products
9034435000, 9034635000
edermapharma@hotmail.com
www.edermapharma.com

अमृत और मृत्यु –
दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं.
मनुष्य मोह से मृत्यु को व
सत्य से अमृत को प्राप्त होता है

We Welcome Your Inquiries for 3rd Party Manufacturing
Committed to Create Miracles
MIRACLE LIFE SCIENCES
Best quality of efficiency Product we directly approved by WHO GMP
With the Wide Range of :
Tablets | Capsules | Liquids | Dry Syrup | Dry-Inj. | Drops | MEDICATED SOAP | Syrup | Ointments | Veterinary Bolus | Beta & Non-Beta | Ophthalmic Drops | Veterinary Inj.
Excellent Packing Like Alu-Alu, Blister & Strip Packing
Brand Promotional Input Like......
Visual aid | Sample Catch covers | Visiting Cards | Product Literature | MR Bags | DCR Pad | Gifts
Trade Enquiries are Welcome for Third Party MFG. / PCD Franchises Distribution on Monopoly basis in PAN India.
M. +91 9897039922, 9897939961, 7037039923
MIRACLE LIFE SCIENCES
(Behind Patanjali Yog Peeth) 148, Village : Bahadarpur Saini, Post: Daulatpur Bahadrabad-249 405, Haridwar (U.K.)
Email : miracle.patel@gmail.com Web: www.miraclelifesciences.in

नशीली दवा फेंसेडिल की तस्करी रोकी, कंटेनर से ढाई करोड़ की कफ सिरप जब्त

कूचबिहार: नशीली दवा फेंसेडिल की तस्करी रोकने में सफलता मिली है। एक कंटेनर को रोककर करीब ढाई करोड़ रुपये कीमत की प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। यह कार्यवाही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और दिनहाटा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की। पुलिस और एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान चलाया और दिनहाटा टाउन के मस्जिद मोड़ इलाके में एक कंटेनर ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी में भारी मात्रा में अवैध फेंसेडिल जब्त की गई। बताया गया है कि तस्करी के सामान की अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपये है। जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश से एक कंटेनर ट्रक दिनहाटा के सीमावर्ती इलाके की ओर जा रहा था। जब पुलिस और एसटीएफ ने मस्जिद मोड़ इलाके में एक वाहन को रोका।

XENON Pharma Pvt. Ltd. (A WHO-GMP Certified Company)
Now Also Contact for 3rd Party Manufacturing & PCD DERMA COSMETICS Franchise Business
XENON | MASLIFE | XENON
For PCD Franchise & Distribution Marketing
- Leaders in introducing 1st time in India products for franchise marketing
- Achieving Customer Satisfaction is Fundamental to our Business, As we provide latest molecules with highest quality standards.
- We also Provide Scientific Data, Promotional Inputs & Gift Articles for Ethical Working and Better Promotion
- Assurance of Timely Delivery, High Quality & Cost Effective Product Range.
- Also contact for 3rd party manufacturing and PCD franchise marketing of DERMA COSMETICS range.

www.xenonpharma.in info@xenonpharma.in | XENON Pharma Pvt. Ltd. Plot No. 79-80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403 | Contact : +91 9971340555

क्षणिकाएं

1. लोगों की, अच्छाई को ढूंढ पाओ, उसे अपनाओ।
2. यात्रा को, चलाते जाइए। तब तक, मुस्कुरापाइये
3. सकारात्मक, बन जाओगे। कई रोगों को, भगा पाओगे।
4. तोल-तोल, कर बोलो। न कि बोलो, फिर तोलो।
5. जिद कर लो, कुछ कर जाना है। इस जन्म को, सफल बनाना है।
6. सोच को, सरल बनाओ। उलझनें, दूर करते जाओ।

नरेन्द्र नाथ लाहा,
9826611169

Helax
We Present WHO-GMP manufactured formulation at lowest price
3rd Party Manufacturing
Specialization
Hormones | Cephalosprins | Pencillin | Non Betalactum Section | Ayurvedic / Siddha | Unani Drugs | Foods | Natraceuticals (FSSAI) Supplements
Super Specialization
INFERTILITY | NEPHROLOGY | UROLOGY | CARDIOVASCULAR | CENTRAL NERVOUS SYSTEM | ANTI DIABETES | MUSCULO SKELETAL | PSYCHO TROPIC | ANTIBIOTIC | ANTI-INFECTIVE | ALIMENTARY | ANALGESICS
"Supporting your healing hands."
HELAX HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
Mr. HARSH GUPTA 7417935356 www.helax.in

नीरू गर्ग स्वामी की ओर से ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित, ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा मुद्रित तथा हरिहर प्रैस के लिए इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एण्ड पैकिंग लिमिटिड नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में मुद्रित एवं के० पी० रोड, बुलन्दशहर से प्रकाशित, सम्पादक – ब्रजेश कुमार गर्ग